



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkhm-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1200 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, जनवरी, 11, 2023.
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुनर्प्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 30 दिसम्बर 2022.

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी। आपत्ति का प्रतिउत्तर प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 3286/12-1 दिनांक 10.01.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रसं | आपत्ति | प्रतिउत्तर |
|-------|--|--|
| 1 | The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate with the period for which diversion is being sought shall be submitted. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1572/FP /UK/MIN/147885/2021/दिनांक 30 सितम्बर 2022 के अनुपालन में कोसी नदी के भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षों की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षों हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं0-औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 सं0-2170/VII-A-1/2021/21ख/13 देहरादून, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। उक्त पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |
| 2 | Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर प्रभाग को उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |
| 3 | The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Guidelines- January 2020. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग द्वारा खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला-नैनीताल) दिनांक 25-07-2018 तक की प्रेषित की गई है। वन विकास निगम की पत्र सं0-1319/खनन 2022-23/ दिनांक 20-09-2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0-870/भू0खनि0ई0/खनन ई-रवन्ना/ 2022- 23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला-नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR), वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है, तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |

Sandeep.bhandari01@gmail.com/campworks

| क्रसं | आपत्ति | प्रतिउत्तर |
|-------|---|---|
| 4 | The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31" day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand constituted vide Government of Uttarakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)/2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year, may be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि याचक विभाग के अनुसार भारत सरकार की पत्र सं०-8-81/1999-F.C. (Pt.VI) दिनांक-15 फरवरी 2013 के बिन्दु सं०-02(ट) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 14-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. वंजामक 29.01.2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं०-02 (V) में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेंडर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है, जिसकी प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है, गत वर्षों की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नको सहित सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1200 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 3286/12-1 दिनांक 10.01.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।



(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 3286 / 12-1

दिनांक, रामनगर, 10-1 2023

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय: जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुनर्प्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भ: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 30 दिसम्बर 2022।


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 4 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार है:-

| क्र. सं. | आपत्ति | प्रतिउत्तर |
|----------|--|---|
| 1 | The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate with the period for which diversion is being sought shall be submitted. | उक्त बिन्दु के क्रम में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1572/FP/UK/MIN/147885/2021/दिनांक 30 सितम्बर 2022 के अनुपालन में कोसी नदी के भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षों की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति संलग्न-1) उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षों हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है, साथ ही यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं0-औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 सं0-2170/VII-A-1/2021/21ख/13 देहरादून, दिनांक 30 दिसम्बर 2021 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति संलग्न-2) |
| 2 | Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019. | याचक विभाग द्वारा लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जो संलग्न है। (संलग्नक-03) |
| 3 | The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Guidelines- January 2020. | याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला-नैनीताल) दिनांक 25-07-2018 तक की प्रेषित की गई है। वन विकास निगम की पत्र सं0-1319/खनन 2022-23/ दिनांक 20-09-2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं0-870/मू0खनि0ई0/खनन ई-रवन्ना/ 2022-23 दिनांक 30.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला-नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR), वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है, तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है। (संलग्नक-04) |

| | |
|--|---|
| <p>4 The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Ultrakhand constituted vide Government of Ultrakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)/2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor mincrals during the previous calendar year, may be provided.</p> | <p>उक्त बिन्दु के संबंध में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की पत्र सं0-8-61/1999-F.C. (Pl.VI) दिनांक-15 फरवरी-2013 के बिन्दु सं0-02(v) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 14-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. Dated 29.01.2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं0-02 (v) में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है, गत वर्षों की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति सलग्न है। (संलग्नक-05, 06, 07, 08, 09, एवं 10)</p> |
|--|---|


उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 3286 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय प्रबन्धक खनन, रामनगर, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग- रामनगर को उनके पत्रांक 2134/कोसी नदी पुर्नप्रस्ताव, दिनांक 07-01-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून

Email-Nodeofficerddn@gmail.com Phone/Fac-2767611

पत्रांक 1572 / FP/UK/MIN/147885/2021 / दिनांक: देहरादून 30 दिसम्बर 2022।

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, (FC)
भारत सरकार, (MoEF)
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग, रोड अलीगंज,
नई दिल्ली-110003।

विषय- कोसी नदी के भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई, द्वारा स्वीकृत माईनिंग प्लान के प्रेषण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या-8-61 /1999-F.C. (Pt.VI) दिनांक-15 सितम्बर 2022 कोसी नदी एवं प्रभागीय प्रबन्धक, खनन उ0 वन विकास निगम, रामनगर की पत्र सं0-2043/माईनिंग प्लान/दिनांक 28 दिसम्बर 2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम सादर अवगत कराना है कि वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोसी नदी में लगाई आपत्तियों के बिन्दु सं0-01 द्वारा स्वीकृत Mining Plan प्रेषित किया जाना प्रस्तावित था जिस क्रम में आगामी 05 वर्षों (वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक) हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, से स्वीकृत Mining Plan ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

अतः तदनुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-कोसी नदी स्वीकृत माईनिंग प्लान-ई-मेल के माध्यम।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक 1572 / FP/UK/MIN/147885/2021 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर(नैनीताल)।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, खनन प्रभाग, उ0 वन विकास निगम, रामनगर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 2170/VII-A-I/2021/21-ख/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के पक्ष में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी के 254.00 है0 नदी तल वन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे का नवीनीकरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा नवीन Forest Clearance प्राप्त किये जाने की शर्त के अधीन दिनांक 18.02.2023 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा नवीनीकृत किया गया है तथा कोसी नदी में कुल स्वीकृत 254.00 है0 में से खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्रफल 90.5 है0 से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जोकि श्री भुवन जोशी, मु0ख0/आर0खू0पी0/डी0डी0एन0/01/2016, के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-2001 के नियम-34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति- 2016 के विन्दु संख्या-22(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

शर्त :-

1. खनन योजना का अनुमोदन शासन के शासनादेश संख्या 2170/VII-A-I/2021/21-ख/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा खनन पट्टे की नवीनीकृत अवधि दिनांक 18.02.2023 से अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
2. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या संख्या J-11015/360/2009-IA.II(M) दिनांक 13 अप्रैल, 2011 एवं पर्यावरणीय अनुमति संख्या J-11015/360/2009-IA.II (M) दिनांक 30 मार्च, 2021 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त फॉरेस्ट क्लियरेंस संख्या F.No. 8-61/1999-FC (PT-I), दिनांक 15.02.2013 की अवधि की समाप्ति दिनांक 14 फरवरी, 2023 के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से वन अनापत्ति (Forest Clearance) प्राप्ति के उपरान्त ही खनन संक्रियायें सम्पादित की जायेगी।
4. पट्टाधारक शासनादेश संख्या 2170/VII-A-I/2021/21-ख/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लॉस्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष पंचम वर्ष तक 36,54,000.00 टन उपखनिज का खनन/चुगान किया जायेगा।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य पर्यावरणीय अनुमति संख्या J-11015/360/ 2009-IA.II(M) दिनांक 31 अप्रैल, 2011 एवं पर्यावरणीय अनुमति संख्या J-11015/360/2009-IA.II (M) दिनांक 30 मार्च, 2021 में अनुमत अधिकतम गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक, के अनुसार किया जायेगा।
7. पट्टाधारक, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रत्येक खनन सत्र में किये गये खनन कार्य की Compliance Report निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।
8. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को दृष्टिगत रखते हुए खनन संक्रियायें वैज्ञानिक विधि से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन से सम्बन्धित विशेषज्ञ यथा खनन अभियन्ता/भूवैज्ञानिक की देखरेख में कराया जायेगा।
9. पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना का भू-सन्दर्भित खनन पट्टा प्लान्स अद्यारोपण उपरान्त भू-सन्दर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय एवं मुख्यालय, देहरादून में एक माह के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी।
10. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जायेगी।
11. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।

12. यह खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
13. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
14. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएं असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय।
15. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व पट्टाधारक का होगा।
16. अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
17. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने के, पाये जाने पर, पट्टाधारक के विरुद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेगा।

संलग्नक- खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(एस० एल० पैट्रिक)
निदेशक

संख्या 3556 / खनन/मू०खनि०ई०/मा०प्लान/2022-23, तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. सदस्य सचिव, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर निदेशक/प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद नैनीताल।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, जनपद देहरादून।

09/11/2022
(एस० एल० पैट्रिक)
निदेशक

प्रेषक,


लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

A.D/H/011
31/22

संख्या: 2170 / VII-A-1/2021/21ख/13

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।



औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2021

विषय: उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल के रामनगर के अन्तर्गत कोसी नदी के 254.00 है० नदी तल वन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे के नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-350/VII-1/21-ख/2013, दिनांक 19 फरवरी, 2013 के द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल में कोसी नदी के 254.00 है० नदी तल वन क्षेत्र में 10 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज के ब्युगान की अनुमति, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-8-61/1999-FC (pt-I), दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा प्रदत्त Forest Clearance तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-J-11015/360/2009-IA.II(M), दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। उक्तानुसार स्वीकृत खनन पट्टे की स्वीकृति की अवधि दिनांक 18.02.2023 तक है।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-3517/खनन-नवी०/व०वि०नि/भू०खनि०ई०/2021-22, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव गये प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी के 254.00 है० नदी तल वन क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टे का नवीनीकरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा नवीन Forest Clearance प्राप्त किये जाने की शर्त के अधीन उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.02.2013 द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे की स्वीकृति अवधि दिनांक 18.02.2023 से आगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टे का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2601(अ), दिनांक 07.10.2014 के क्रम में शासनादेश संख्या-1621/VII-1/212-ख/2014, दिनांक 17.12.2014 में किये गये प्रावधान के क्रम में पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से पूर्व प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या-J-11015/360/2009-IA.II(M), दिनांक 13 अप्रैल, 2011 एवं पर्यावरणीय अनुमति संख्या-J-11015/360/2009-IA.II(M), दिनांक 30 मार्च, 2021 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. निगम द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त फॉरेस्ट क्लियरेंस संख्या-8-61/1999-FC (pt-I), दिनांक 15 फरवरी, 2013 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

4. प्रश्नगत खनन क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य पर्यावरणीय अनुमति संख्या- J-11015/360/2009-1A.II(M), दिनांक 13 अप्रैल, 2011 एवं पर्यावरणीय अनुमति संख्या-J-11015/360/2009-1A.II(M), दिनांक 30 मार्च, 2021 में अनुमत अधिकतम गहराई 1.5 मी0 अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक, के अनुसार किया जायेगा।
5. निगम द्वारा अधिसूचना संख्या-334/VII-A-1/2020/5(15)/19 दिनांक 04 मार्च 2020 के क्रम में यदि चुगान/खनन कार्य 3.0 मीटर अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल, जो भी कम हो तक, के अनुसार किये जाने का अनुरोध किया जाता है, तो उक्तानुसार पर्यावरणीय अनुमति में संशोधन कराया जाना होगा।
6. निगम के द्वारा स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से उपखनिज का खनन/चुगान का कार्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-34 के खनन योजना अनुमोदित करायी जायेगी तथा तदनुसार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन/चुगान कार्य किया जायेगा।
7. जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थाई स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र एम0एम0-11 निगम को निर्गत किया जाय।
8. उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु-8(ड.) के प्रावधानानुसार निगम द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं चुगान समाप्ति के समय आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
9. निगम के द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रत्येक खनन सत्र में किये गये खनन कार्य की Compliance Report निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
10. निगम द्वारा प्रतिवर्ष चुगान कार्य आरम्भ करने से पूर्व एवं चुगान की समाप्ति के उपरान्त शासनादेश संख्या-1948/VII-A-1/2020/5(39)/20, दिनांक 08.12.2020 के द्वारा गठित समिति से प्रश्नगत क्षेत्र/उपखनिज लॉट की Replenishment Study कराई जानी आवश्यक होगी।
11. निगम के द्वारा खनन योजना/पर्यावरणीय अनुमति में निकासी हेतु निर्धारित वार्षिक मात्रा की पूर्ण निकासी की जायेगी एवं उक्तानुसार वार्षिक रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जाना होगा।
12. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-14 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु-17 के प्रावधानानुसार निगम द्वारा चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
13. निगम नदी के प्रत्येक किनारे से 15% भाग छोड़ते हुये स्वीकृत क्षेत्रान्तगत उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर का चुगान करेगा।
14. निगम के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-21 के अनुसूची-1 में संशोधन की दशा में संशोधनोपरान्त तत्समय निर्धारित रायल्टी दर के अनुसार रायल्टी का भुगतान किया जायेगा।
15. निगम के द्वारा समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल तथा शासन द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. निगम उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण प्रपत्र एम0एम0-12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
17. निगम के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
18. निगम द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं0 22(3) के प्रावधानानुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूटाईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकॉर्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

19. निगम द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टडर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 22(4) के प्रावधानानुसार चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पंजीकृत वाहन की सूचना पट्टाधारक के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी।
20. निगम द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टडर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 22(5) के प्रावधानानुसार पट्टा क्षेत्र से निकासी किये गये खनिज का मासिक विवरण जिम्मेदार प्रारम्भ पर जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जगपद स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयान्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर पट्टाधारक पर प्रतिमाह ₹ 2000/- का अर्धदण्ड आरोपित किया जायेगा।
21. निगम द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टडर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं० 22(6) के प्रावधानानुसार पट्टाधारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
22. निगम स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन ई-रवन्न प्रपत्र एम0एम0-11 पर करेगा।
23. निगम उपखनिज की निकासी इस शीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: 2170 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।


आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

Name of project:- Collection of the minor mineral from the KOSI RIVER.

CATEGORY OF PROPOSALS FOR WHICH COST-BENEFIT ANALYSIS IS APPLICABLE

| Sr. No | Nature of proposal | Applicable/ Not Applicable | Remarks |
|--------|--|----------------------------|--|
| 1 | All categories of proposals involving forest land upto 20 hectares in plains and upto 5 hectares in hills. | N/A | These proposals are to be considered on case by case basis and value of judgment. |
| 2 | Proposal for defence installation purposes and soil prospecting (prospecting only) | N/A | In view of National Priority accorded to these sectors, the proposals would be critically assessed to help ascertain that the utmost minimum forest land in diverted for non-forest use. |
| 3 | Habitation, establishment of industrial unit, tourist lodges/complex and other building construction | N/A | These activities being detrimental to protection and conservation of forest. As a matter of policy, such proposals would be rarely entertained. |
| 4 | All other proposals involving forest land more than 20 hectares in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, Minor, Medium and Major irrigation Projects, hydel projects mining activity, railway lines, location specific installations like micro-wave stations, auto repeater centres, TV towers etc. | Applicable | These are cases where a cost-benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use is in the overall public interest. |


 Divisional Manager, (Mining)
 Uttarakhand Forest Development Corporation,
 Khanan Ramnagar Division (Nainital)

Cost of Project:-

Name of project: – Collection of the minor mineral from the KOSI RIVER.

Uttarakhand forest Development Corporation, Ramnagar (Nainital)

| Sr.No | Particulars | Approx Amount (in lakhs) | Remark |
|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | Total cost (Investment incurred) for 10 years | 12638.02 | |
| (A) | *Construction Cost of the Project | 12638.02 | Fencing of Safety zone, Staff Salary, infrastructure Labour welfare, Repair and maintenance, Other expenditures. Already included above. |
| (B) | N.P.V Amount to be deposited@--- lakh/Ha | N/A | Already deposited |
| (D) | Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:- | N/A | Already deposited |
| Total (A+B+C)= | | 12638.02 | |
| 2 | Benefits:- Benefits from taking age of Project as 10 Years | 61615.02 | |
| (A) | Economic Benefits-Market Development Taking | 12638.02 | Production Cost and other |
| (B) | Economic benefits due to of direct & indirect employment due to the project. | 43977.00 | About 3054 labours will be working for 8 months/year for 10 years @Rs 600=43977.00 Lakh. These Labours are directly paid by buyer. |
| (C) | Employment Generation Due to other activities | 5000.00 | |
| (D) | Therefore construction of Economically viable and social beneficial. | - | |
| Total (A+B+C+D)= | | 61615.02 | |

* For calculating the total cost of 10 years average cost of investment for last 3 years was multiplied with 10 and obtained value was divided by the total mining area of both the rivers i.e Kosi and Dabka to reach to per ha. Investment cost finally for the calculation of total cost of Kosi River, the mining area of Kosi i.e. 181 ha was multiplied with per ha cost:

Note:- Total expenditure SI No 1=Rs 12638.02 (In Lakhs)

Benefit SI No 2=Rs 61615.02 (In Lakhs)

Therefore, Benefits/cost Ratio=61615.02/12638.02=4.87


Therefore the project is economically viable socially beneficial.

Divisional Manager, (Mining)

Uttarakhand Forest Development Corporation,
Khanan Ramnagar Division (Nainital)


Name of project:- Collection of the minor mineral from the KOSI RIVER.**PARAMETERS FOR EVALUATION OF LOSSES OF FOREST**

| Sr. No | PARAMETERS | Roads, Tr. Lines & Railway Line | Minor irrigation projects, quarrying of stones/metals | Medium & Major Irrigation, Hydro Electric, Large Mining & Other mic. Projects |
|--------|--|---------------------------------|---|---|
| 1 | Loss of value of timber, fuel wood and minor forest produce of an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage form harvest of these commodities. | N/A | Minor mineral will be collected from middle of the river. By doing so, it will be ensured that the nearby forest land and habitat would be protected. | N/A |
| 2 | Loss of animal's husbandry productivity including loss of fodder. | N/A | There is no loss of animal's husbandry productivity and loss of fodder because collection of minor mineral will be done in the middle of the seasonal river which is free from fodder and hence from animals. | N/A |
| 3 | Cost of human resettlement. | N/A | There is no settlement as the area is a reserved forest within river bed. | N/A |
| 4 | Loss of public facilities and administrative infrastructure (Road, Building, Schools, Dispensaries, Electric line, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project. | N/A | No public facilities exist in the proposed site and there is no need for diversion of infrastructure in and around the site. | N/A |
| 5 | Environment losses: (soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, Microclimate upsetting of ecological balance) | N/A | E.C. is being carried out to look into it. The conservation work is being carried out by Forest Department. | N/A |
| 6 | Suffering to outers. | N/A | There is no resettlement issue due to the project. | N/A |


 Divisional Manager, (Mining)
 Uttarakhand Forest Development Corporation,
 Khanan Ramnagar Division (Nainital)

Name of project:- Collection of the minor mineral from the KOSI RIVER.**PARAMETER FOR EVALUATION OF LOSS OF BENEFITS, NOT WITHSTANDING LOSS OF FORESTS:-**

| Sr. No | Particulars | Road, Tr. Lines & Railway line | Minor Projects | Irrigation/Hydro electric Projects & Others |
|--------|--|--------------------------------|--|---|
| 1 | Increase in productivity attributable to the specific project. | N/A | The river bed area lies unoccupied for the past many years. There is possibility of illegal collection of RBM if not done regularly the level of river bed would keep on rising. If mining is regularly carried out, there will be increase in govt. revenue and the nearby areas will be prevented from inundation. | N/A |
| 2 | Benefits to economy due to the incremental economic benefit in monetary the specific project. | N/A | As given in cost benefit ratio chart, the total expenditure is Rs 12638.02 Lakhs and the benefit will be Rs 61615.02 lakh which can be more. | N/A |
| 3 | No. of population benefited. | N/A | Most of people would be benefited. | N/A |
| 4 | Employment potential. | N/A | Most of people would be benefited. | N/A |
| 5 | Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible. | N/A | There is no need of acquisition of non-forest land for any facility. | N/A |
| 6 | Loss of (a) agriculture & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land. | N/A | There will be no loss in agriculture and animal husbandry production due to diversion of the forest land because the area is in seasonal river bed where there is no flora and fauna. | N/A |
| 7 | Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amount given for displacement. | N/A | There is no displacement of people due to the project. | N/A |
| 8 | Cost of supply of fuel free-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction. | N/A | Alternate Energy source will be provided to reduce the fuel wood | N/A |


 Divisional Manager, (Mining)
 Uttarakhand Forest Development Corporation,
 Khanan Ramnagar Division (Nainital)

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
जिला टास्क फोर्स नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

सेवा में,

प्रभागीय प्रबन्धक खनन,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर जनपद नैनीताल,

पत्रांक: 870 /भू0खनि0इ0/ खनन-ई-रवन्ना/2022-23

दिनांक: 03/10/2022

विषय: जिला सर्वे रिपोर्ट (D.S.R.) नैनीताल वर्ष - 2019 की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1319/खनन 2022-23 दिनांक 20.09.2022 जो इस कार्यालय में 23.09.2022 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कोसी एवं दाबका नदियों के आगामी 10 वर्ष हेतु पुर्नप्रस्ताव हेतु वन एवं जलवायु पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित पत्र संख्या 8-61/1999-F.C.(Pt. VI) दिनांक 15 सितम्बर 2022 एवं पत्र संख्या 8-61/1999-F.C.(Pt. V) दिनांक 15 सितम्बर 2022 के क्रम में वन एवं जलवायु पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर आपत्तियां दर्ज की गयी हैं, जिसमें बिन्दु संख्या 03 में "D.S.R. Has been Prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, its required as per the MoEF & CC's SSMG Guideline- 2019" के आधार पर जिला सर्वे रिपोर्ट (D.S.R.) सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2018 के उपरान्त जनपद नैनीताल की जिला सर्वे रिपोर्ट (D.S.R.) तैयार नहीं की गयी है। अतः आख्या महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

(मदन किशोर)

भू-रसायनज्ञ
कृते-अपर निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी नैनीताल।
- 2 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

भू-रसायनज्ञ
कृते-अपर निदेशक

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2022 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित गौला, कोसी, दावका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति (Forest Clearance) सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है (उपस्थिति पत्रक संलग्न है):-

वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, वन मुख्यालय, देहरादून की उपस्थिति-

1. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री रमेश चन्द्र, मुख्य वन संरक्षक, उपयोग, गैर प्रकाष्ठ वन उपज एवं आजीविका देहरादून
3. डा0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. डा0 अनिल कुमार सिंह, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इण्डिया, देहरादून।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, अरण्य भवन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त कार्यालय की उपस्थिति-

5. डा0 विवेक घाण्डे, मुख्य वन संरक्षक / महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
6. श्री दीप चन्द्र आर्य, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
7. श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री बी0एस0 शाही, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
9. श्री बाबूलाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री के0 एन0 भारती, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
11. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, गौला हल्द्वानी।
12. श्री अशोक कुमार, प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, नन्धौर।
13. श्री एस0 जी0 गोस्वामी, क्षेत्रीय प्रबन्धक (रामनगर), उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
14. श्री दिनेश मिश्र, प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. सुश्री टायकी मल्होत्रा, संस्कारा संस्था, हल्द्वानी।

निम्न अधिकारियों द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से अपने कार्यालय से बैठक में प्रतिभाग किया-

16. डा0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
17. डा0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड नैनीताल।
18. श्री एस0के0 तिवारी, भारतीय वन्यजीव संरक्षण, देहरादून।
19. डा0 कृष्णचन्द्र मन्डल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

बैठक प्राथम कक्षे हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दावका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षों के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है। मॉनिटरिंग समिति का दायित्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा किया जाना निर्देशित है।

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न नदियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत खनन की अनुमति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है:-

| नदी का नाम | वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक |
|------------|--|
| गोला | F. No. 8-61/1999-FC, 23 rd January 2013 |
| नन्दौर | F. No. 8-34/1916-FC, 6 th September 2017 |
| शारदा | F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11 th February 2013 |
| कोसी | F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15 th February 2013 |
| दाबका | F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15 th February 2013 |

तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रश्नगत पांचों नदियों से सम्बन्धित निम्न प्राथमिक जानकारी दी गयी।

| नदी का नाम | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है (हेक्टेयर में) |
|------------|-------------------------|------------------------|--|
| गोला | नेनीताल | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 1497 |
| नन्दौर | नेनीताल रुधमसिंह नगर | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 468 |
| शारदा | चम्पावत | हल्द्वानी वन प्रभाग | 384.69 |
| कोसी | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 254 |
| दाबका | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 223 |

नदियों से सप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति सम्बन्धी विवरण -

| नदी का नाम | अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार सप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में) | CSWCRTI (ISWC) द्वारा सर्वे करणत चुगान सत्र 2021-22 हेतु अनुमति मात्रा (लाख घन मीटर में) | दि 10.03.2022 तक सप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में) |
|------------|---|--|--|
| गोला | 54.25 | 38.24 | 21.00 |
| नन्दौर | 20.30 | 7.02 | 3.62 |
| शारदा | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमति मात्रा | 9.81 | 1.358 |
| कोसी | Recommended संख्या द्वारा प्रतिवर्ष अनुमति मात्रा | 6.81 | 1.90 |
| दाबका | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमति मात्रा | 1.67 | 0.79 |

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नदियों के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बिन्दुवार निम्न अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :-

गौला नदी-

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.-

पांचों ही नदियों की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

- (ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त है, इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1323.35 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्य 176.65 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शारदा, कोसी एवं दाबका नदियों हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी नियमानुसार किया जा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों की के.एम.एल. फाईल्स को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय।

- (iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA.-

समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा भी NPV भुगतान से सम्बन्धित कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है, और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (H/0/0/0) महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गत वर्ष दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विकास निगम द्वारा NPV जमा करने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/ ग्रासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा-निर्देश लिये जाय।

- (iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required:-

डा० कृष्णनन्द, सपडल, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा समस्त नदियों के Environment Clearance की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। महाप्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन विकास निगम द्वारा प्रेषित गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों की EC की वैधता Forest Clearance के समतुल्य (Co-terminus) के उद्देश्य से प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EC की वैधता में विस्तारीकरण किया गया है।

अतः इस शर्त के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त नदियों हेतु निम्न अनुसार Environment Clearance प्राप्त है -

| नदी का नाम | Environment Clearance स्वीकृति की पत्र संख्या | वैधता की अन्तिम तिथि |
|------------|---|----------------------|
| गौला | J-110105/363/2009 IA, II(M) दिनांक 01.03.2021 | 22.01.2023 |
| नन्दीर | J-11015/401/2015-IA-II(M) दिनांक 27.02.2018 | 27.02.2028 |
| कोसी | J-11015/360/2009-IA, II(M) दिनांक 30.03.2021 | 15.02.2023 |
| दाबका | J-11015/359/2009-IA, II(M) दिनांक 01.03.2021 | 15.02.2023 |
| शारदा | J-11015/362/2009-IA, II(M) दिनांक 01.03.2021 | 11.02.2023 |

अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गम्भीरता से Follow up किया जाय, ताकि माह अप्रैल 2021 से पूर्व ससमय उक्त स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा उपखनिज चुगान में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

- (v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; -
- (vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement;-

उक्त शर्तों (v, vi) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में ससमय मुआवजा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम, डा0 विवेक पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन हेतु गौला नदी के खनन क्षेत्र का 2.5 कि०मी० भाग खनन हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

श्री संदीप तिवारी, प्रतिनिधि निदेशक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष की बैठक में कॉरीडोर के प्रबन्धन हेतु Futuristic corridor plan के गठन हेतु चर्चा की गयी थी एवं यह निर्देशित किया गया था कि उक्त प्लान के गठन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा। मुख्यवन्यजीव प्रतिपालक सहोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग "प्रोजेक्ट रेलीफेन्ट" के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसे इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा। अतः समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कॉरीडोर प्लानिंग को "प्रोजेक्ट रेलीफेन्ट" के अन्तर्गत लिया जाय।

- (vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas,

the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry;-

प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रश्नगत 2.50 किमी० क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष गौला कॉरीडोर में आर०बी०एम० एकत्रित होने के कारण नदी के पूर्वी तट में कटाव हुआ है, जिसके दृष्टिगत अत्यधिक आर०बी०एम० का चुगान किया जाना अति आवश्यक होगा। प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 17.10.2021 से 19.10.2021 तक जनपद नैनीताल में हुई भीषण अतिवृष्टि से गौला नदी में आयी बाढ़ के दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा गौला कॉरीडोर क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत भू-कटाव को रोकने हेतु चैनलिंग कार्य हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, जिसके अन्तर्गत माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2021 में चैनलिंग कार्य करवाया गया।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गौला कॉरीडोर क्षेत्र में भूकटाव रोकने हेतु उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम क्षेत्र का तकनीकी आंकलन कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

- (viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundarkhal village by using State CAMPA funds;-

इस बिन्दु के संबंध में संस्कारा संस्था की प्रतिनिधि टाईकी मल्होत्रा द्वारा सुन्दरखाल ग्राम की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन है एवं तदनुसार ही भविष्य में कार्यवाही की जायेगी।

- (ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WIL, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;-

इस शर्त के अनुगमन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की दार्जिलिंग बैठक सम्पन्न की जा रही है।

- (x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; :-

उक्त बिन्दु के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है।

- (xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals.:-

उक्त शर्त का अनुपालन नियमानुसार हो रहा है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा गत वर्ष दिनांक 25.05.2021 को गौला कार्पस की वार्षिक बैठक सम्पन्न कर कार्ययोजना को स्वीकृत किया गया है। प्रमाणीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 की गौला कार्पस निधि की बैठक निकटतम भविष्य में करायी जायेगी।

- (xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.-

किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ०मी० से अधिक उपखनिज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में IISWC Dehradun द्वारा समस्त नदियों की Replenishment study करवायी गयी है, जिसमें हर नदी से उपखनिज चुगान हेतु अधिकतम मात्रा निर्धारित कर लिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में उक्तानुसार आंकलित एवं निर्धारित आयतन से अधिक मात्रा में उपखनिज चुगान न किया जाय। इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

- (xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.-

- (xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.-

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त नदियों में नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य निर्धारित गहराई तक किया जाय। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय क्षेत्रों में उपखनिज चुगान के उपरान्त निर्धारित मात्रा से अधिक गहरे गद्दे देखने में आते हैं। इसके अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ऐसे प्रकार जिसमें वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित गहराई अथवा सीमांकन से बाहर सम्बन्धी नियम तोड़ा जाता है तो तदनुसार नदी में उसके आवागमन/निकासी को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.-

इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

(xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ क्षेत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष चुगान सत्र के शुरुआत में बारिश के कारण चुगान विलम्ब से प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक वर्षों में उपखनिज चुगान की निकासी भी गत वर्ष की तुलना में कम रही। प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), महोदय द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से दाबका एवं कोसी के लक्ष्य प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिसके अनुपालन में वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष से उपखनिज चुगान में तीव्रता आयी है एवं चुगान सत्र के अन्त तक पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति की संभावना है।

(xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.

महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का नियमानुसार अनुपालन किया जा रहा है।

(xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का वन विस्तार के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

(xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry;

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊं, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जा रही है। वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार तथा भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है। समिति के सदस्यों को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी "Sustainable sand mining guidelines" का भी अनुपालन किया जा रहा है।

(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊं एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्वीर नदी—

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिराके का 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and maintenance of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन से उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए जाय।

कोसी एवं दाबका नदी—

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति शर्त गौला नदी की अनुमति के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है।

No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Babka river located on northern side of the Ramnagar-Haldwani Highway.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा गौला पुल के समान उपखनिज का चुगान नहीं किया जा रहा है।

शारदा नदी—

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति व शर्तों के समान हैं। परन्तु बिन्दु संख्या 4 एवं 9 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार हैं।

4- No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on the upstream of the Sharda barrage.

9- The State Government shall through the Central Soil & Water Conservation training institute (CSWCRI), Dehradun assess the quantity of minor minerals which may be sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and inform the MoEFCC.

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुशीमठ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि कोसी नदी से उपखनिज चुगान में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा Indian Institute of Soil and Water Conservation (IISWC) Dehradun द्वारा प्रदत्त अनुसंधान अनुसार ही उपखनिज का चुगान किया जा रहा है तथा IISWC से प्राप्त रिपोर्ट को भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (MoFF) उत्तराखण्ड द्वारा कोसी एवं दाबका नदी में उपखनिज चुगान को रोकने के लिए कठोर उपाय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा अपेक्षा की गई प्रमुख वन विकास निगम एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अवैध चुगान रोका जा जाना अति आवश्यक है। प्रभागीय वनाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि कोसी नदी में लिफ्ट वाहन को सीज करने के उपरान्त राजसात करना अति आवश्यक है ताकि अवैध चुगान को प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड,
देहरादून

वन मुख्यालय, 85-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक-833 (N.T.P.P.) 9-23Y हल्द्वानी, दिनांक, 07-06-2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रवनी, देहरादून।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 4- निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 6- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
- 7- मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 10- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
- 11- प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 12- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
- 13- डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
- 14- संस्कार संस्था।
- 15- आई.यू.सी.एन. इंडिया।
- 16- गार्ड फाइल।

संलग्न- बैठक की उपस्थिति।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

"उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका व शारदा से उपखाने के
चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा अधोरोपित शर्तों के अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के
माध्यम से आयोजित बैठक में कुमाऊँ स्थित अधिकारी की
उपस्थिति

दिनांक 15.03.2022

स्थान-वन संरक्षण परिचाली वृत्त कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष,
हल्द्वानी

| क्र०सं० | नाम व पदनाम | ई-मेल | हजर |
|---------|------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | Dr Vinod Tandel | | / |
| 2 | दीप अग्रवाल परिचाली वृत्त | | / |
| 3 | Sandeep Kumar DFO | dfot@... | / |
| 4 | B.S. Shukla DFO | bs89531...@... | / |
| 5 | BMSULM DFO, Haldwari | | / |
| 6 | Sh. K. N. Bhaish | | / |
| 7 | Yogendra Kumar Shukla | | / |
| 8 | Ashok Kumar D.L.M Nandani | | / |
| 9 | M.G. G... R.M ... | | / |
| 10 | Dhivraj Bhatt D.L.M | | / |
| 11 | Tykee Malhotra | Sandhya india... | / |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |

उत्तराखण्ड में गीला, कोली, दाबका व शारदा से सम्बंधित
 सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा
 अनुपालन की वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक
 स्थित अधिकारियों की उपस्थिति

दिनांक 15.03.2022

स्थान-कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक
 मुख्यालय, देहरादून

| क्र.सं. | नाम व पदनाम | स्थिति |
|---------|--|------------------|
| 1 | Vinod Kumar, PCCF (HoFF) | ✓ |
| 2 | D J K. Sharma, MD, UFDC | ✓ |
| 3 | Ranish Chandra, PCCF | |
| 4 | Dr. पराग मधुकर शर्मा, CWELW, Uttarakhand | ✓ |
| 5 | Dr. ANIL KUMAR SINGH Team Leader - TAL WWF - India | Dr. Anil K Singh |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 15 | | |

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2021 को पूर्वान्ह 11.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित गौला, कोसी, दाबकां, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति (Forest Clearance) सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित अनुश्रवण समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार है (उपस्थिति पत्रक संलग्न-1 है):-

वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, अरण्य भवन वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त कार्यालय की उपस्थिति-

1. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक/ महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
2. डा0 तेजस्विनी अरविन्द पाटील, मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. श्री जीवन चन्द्र जोशी, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
4. श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. श्री चन्द्र शेखर जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
6. श्री हिमांशु बागरी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
7. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. डा0 अभिलाषा, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
9. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री एम0 सी0 जोशी, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
11. श्री प्रकाश आर्या, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी हल्द्वानी।
12. श्री एच0 पी0, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, शारदा।
13. श्री वाई0 के0 श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला हल्द्वानी।
14. श्री डी0 सी0 बिष्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर (हल्द्वानी)।
16. श्री कृष्ण कुमार, सांख्यिकीय अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी
प्र. वि. सं. 768/.....
पत्र सं. 26/.....
दिनांक... 20/02/2021

वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, वन मुख्यालय, देहरादून की उपस्थिति-

17. श्री एस0एस0 रसाईली, सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
18. डा0 ए0के0 सिंह, WWF India।

निम्न अधिकारियों द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से अपने कार्यालय से बैठक में प्रतिभाग किया-

19. श्री डी0जी0के0 शर्मा, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
20. डा0 बिलाल हवीब, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

MS

वैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दावका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षों के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है। मॉनिटरिंग समिति का दायित्व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा किया जाना निर्देशित है।

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न नदियों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत खनन की अनुमति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की गयी है:-

| नदी का नाम | वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक |
|------------|---|
| गौला | F. No. 8-61/1999-FC, 23 rd January 2013 |
| नन्धौर | F. No. 8-34/1916-FC, 6 th September 2017 |
| शारदा | F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11 th February 2013 |
| कोसी | F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15 th February 2013 |
| दावका | F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15 th February 2013 |

तत्पश्चात् प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रश्नगत पांचों नदियों से सम्बन्धित निम्न प्राथमिक जानकारी दी गयी।

| नदी का नाम | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|------------------------|--|
| गौला | नैनीताल | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 1497 |
| नन्धौर | नैनीताल ऊधमसिंह नगर | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 468 |
| शारदा | चम्पावत | हल्द्वानी वन प्रभाग | 384.69 |
| कोसी | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 254 |
| दावका | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 223 |

47

नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति सम्बन्धी विवरण -

| नदी का नाम | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में) | CSWCRTI (HSWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2020-21 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में) | दि 18.02.2021 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में) |
|------------|---|---|--|
| गौला | 54.25 | 32.92 | 20.95 |
| नन्धौर | 20.30 | 5.18 | 4.84 |
| शारदा | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 4.62 | 1.52 |
| कोसी | Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 4.55 | 3.88 |
| दाबका | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 0.63 | 0.55 |

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नदियों के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बिन्दुवार निम्न अनुसार प्रस्तुतीकरण किया गया :-

गौला नदी:-

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.-

पांचों ही नदियों की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।

- (ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त है, इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1073.35 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा अवशेष लक्ष्य 426.65 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शारदा, कोसी एवं दाबका नदियों हेतु निर्धारित क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी नियमानुसार किया जा रहा है।

- (iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer same to the ad-hoc CAMPA.

समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस विन्दु पर महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा भी NPV भुगतान से सम्बन्धित कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं है, और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया गया कि वन विकास निगम द्वारा NPV जमा करने के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी/ शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट दिशा-निर्देश लिये जाय।

- (iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required:-

महाप्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त नदियों हेतु निम्न अनुसार Environment Clearance प्राप्त है -

| नदी का नाम | Environment Clearance स्वीकृति की पत्र संख्या | वैधता की अन्तिम तिथि |
|------------|---|----------------------|
| गौला | 11015/353/2009 दिनांक 13.04.2011 | 13.04.2021 |
| नन्धौर | J-11015/401/2015-IA-II(M) दिनांक 27.02.2018 | 27.02.2028 |
| कोसी | J-11015/360/2009-IA दिनांक 13.04.2011 | 13.04.2021 |
| दावका | J-11015/359/2009-IA दिनांक 15.04.2011 | 15.04.2021 |
| शारदा | J-11015/362/2009-IA II(M) दिनांक 15.04.2011 | 15.04.2021 |

उक्तानुसार नन्धौर नदी के अतिरिक्त अन्य समस्त नदियों की EC की वैधता माह अप्रैल 2021 में समाप्त हो रही है। उक्त नदियों की उपखनिज के चुगान हेतु स्वीकृति एवं Environment Clearance सम्बन्धित स्वीकृति Co-terminus न होने के दृष्टिगत Environment Clearance की वैधता Forest Clearance से पूर्व ही समाप्त हो रही है। जिसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यक Environment Clearance सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें Parivesh Portal पर पूर्ण की जा चुकी है, शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गम्भीरता से Follow up किया जाय, ताकि माह अप्रैल 2021 से पूर्व सरामय उक्त स्वीकृति प्राप्त हो जाय तथा उपखनिज चुगान में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह भी निर्देशित किया गया कि EC में विलुप्त प्रायः वन्यजीव जैसे हाथी,

6

टाइगर, तेंदुवा आदि के संरक्षण हेतु वन्यजीव संरक्षण योजना के गठन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी शर्त के अनुपालन में एक योजना बनाई जाय जिस हेतु आवश्यक धनराशि वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाय।

- (v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife: -
- (vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement:-

उक्त शर्तों (v, vi) के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में ससमय मुआवजा दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक वन विकास निगम, डा0 विवेक पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन हेतु गौला नदी के खनन क्षेत्र का 2.5 कि०मी० भाग खनन हेतु प्रतिबन्धित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत नदियों के क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरीडोरस अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील हैं, फलस्वरूप अनुश्रवण समिति का दायित्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत आदेशों की मात्र शर्तों के औपचारिक अनुपालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपखनिज चुगान से कॉरीडोर क्षेत्र में वन्य जन्तुओं के आवागमन पर पड़ रहे प्रभाव एवं मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति को वैज्ञानिक रूप से आंकलित कर प्रभावी योजना का गठन एवं क्रियान्वयन करवाना है। हाथी कॉरीडोर क्षेत्र में वन्य जीव प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों का वन्य जन्तुओं के निर्बाध आवागमन, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि पर प्रभाव का आंकलन कर अनुश्रवण किया जाना अति आवश्यक है, ताकि वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर कॉरीडोर की स्थिति को आंका जा सके एवं भविष्य हेतु तदनुसार योजना बनायी जा सके। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता को प्राथमिकता दिये जाने की भी आवश्यकता है।

नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त का समर्थन करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नगत नदियों में उपखनिज चुगान के अनुश्रवण हेतु "महत्वपूर्ण सूचकों" को निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इन सूचकों को समय-समय पर आंकलित कर ही अनुश्रवण समिति द्वारा वास्तविक रूप से अनुश्रवण किया जा सकेगा। फलस्वरूप कॉरीडोर क्षेत्र में उपखनिज चुगान के long term impact एवं

प्रभावी वन्यजीव प्रबन्धन हेतु योजना बनायी जानी अति आवश्यक है। जिसके परिणामों को समय-समय पर समिति द्वारा उक्त निर्धारित सूचकों के क्रम में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

डा० विलास हवीव वैज्ञानिक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा भी समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत नदियां अतिमहत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का भाग हैं जिनका प्रबन्धन हाथी कॉरीडोर के आलोक में किया जाना अति आवश्यक है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उपखनिज चुगान एवं मानव वन्यजीव संघर्ष के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध एवं कॉरीडोर की स्थिति को वैज्ञानिक आधार पर जानना अति आवश्यक है, तदोपरान्त futuristic comprehensive corridor conservation plan बनाया जाना उचित होगा। उक्त प्लान में उपखनिज चुगान का वन्यजीवों के आवागमन पर प्रभाव तथा river geometry को प्राथमिकता देनी उचित होगी।

डॉ० ए० के० सिंह द्वारा उक्त कॉरीडोर का वैज्ञानिक अध्ययन किये जाने पर जोर दिया गया एवं वन्यजीवों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का सुझाव दिया। कॉरीडोर क्षेत्र में विद्यमान नेशनल हाई-वे एवं रेलवे लाईन हेतु over pass या under pass बनाने का भी सुझाव दिया गया।

उक्त चर्चा उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि elephant corridor के संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाना अति आवश्यक है, परिणामस्वरूप corridor management एवं restoration हेतु वैज्ञानिक अध्ययन कर एक Model futuristic corridor plan का गठन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त प्लान में कॉरीडोर की विगत वर्षों की स्थिति तथा वर्तमान तथ्यों को सम्मिलित करते हुए भविष्य हेतु रणनीति तय की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान में विभिन्न सूचकों को निर्धारित किया जायेगा एवं समय-समय पर हाथी कॉरीडोर में किये गये विभिन्न कार्यों के परिणामों को इन सूचकों के क्रम में आंका जायेगा। ताकि समिति द्वारा समय-समय पर outcome के आधार पर अनुश्रवण किया जा सके। उक्त कॉरीडोर मॉडल प्लान के गठन के उपरान्त इसे अन्य कॉरीडोरस में भी replicate किया जा सकेगा।

उक्त के क्रम में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया -

1)- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त के माध्यम से एक तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव प्रेषित करेंगे। यह तकनीकी समिति अनुश्रवण हेतु विभिन्न सूचकों को निर्धारित कर हाथी कॉरीडोर क्षेत्र के अध्ययन एवं नियोजन हेतु रूप-रेखा तैयार करेगी, जिसके आधार पर नियमानुसार गैर सरकारी संस्था/शोध संस्थान आदि द्वारा एक Model futuristic corridor plan तैयार किया जायेगा।

2)- आवश्यकता पड़ने पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के निर्देश पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक से अधिक बार भी अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी।

6

- (vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry:-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 किमी० क्षेत्र में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। तथा समिति से अनुरोध किया गया है कि उक्त कॉरीडोर क्षेत्र में जमा हुए आर०बी०एम० को एक निश्चित अन्तराल में हटाया जाय, अन्यथा की स्थिति में अत्यधिक आर०बी०एम० जमा होने से नदी क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है। इस सम्बन्ध में नोटल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से उपखनिज हटाने का सुझाव दिया गया। उक्त के क्रम में प्रमुख वन सरलक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जाय उसमें हाथी के आवागमन को दृष्टिगत करते हुए की जाय।

- (viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundarkhal village by using State CAMPA funds:-

इस बिन्दु के संबंध में विगत वर्षों की बैठक में निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया था कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

- (ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year:-

इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।

- (x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land:-

उक्त विन्दु के अनुपालन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांज द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि वन विकास निगम द्वारा श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु जो procedure formulate किया गया है उसे लिखित में समिति को अवगत करवाया जाय। नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि उपखनिज चुगान हेतु बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिक कहीं स्थायी रूप से खनन क्षेत्र में निवास न करें, इस सम्बन्ध में भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाय।

- (xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals:-

वन विभाग एवं वन विकास निगम के अधिकारियों में पूर्व से ही उक्त शर्त में वर्णित Net Profit की परिभाषा में भिन्नता रही है। वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है एवं जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए था। वर्तमान में वन विकास निगम द्वारा विभिन्न कार्पस में लाभांश को ही Net Profit मानते हुए गौला कार्पस में 100 प्रतिशत एवं अन्य में 50 प्रतिशत धनराशि जमा की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने पूर्व में मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.04.2019 को निर्देश निर्गत किए थे। उक्त बैठक का कार्यवृत्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की पत्र संख्या पी0ओ0/1489 दिनांक 27.04.2019 द्वारा जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के विन्दु सं0 (xi) के अनुसार "उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भौति लाभांश के रूप में एकत्रित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि Special purpose Vehicle (SPV) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षों की 50 प्रतिशत धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्र सम्बन्धित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।"

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त में उल्लेखित Net Profit एवं वन विकास निगम द्वारा निर्धारित "लाभांश" में असंगंजस को दूर करने एवं Net Profit की धनराशि निर्धारित करने हेतु उनके स्तर से एक प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके उपरान्त रिथिति स्पष्ट हो जायेगी।



प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम से अनुरोध किया गया कि उस प्रस्ताव की एक प्रति प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) को प्रेषित की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि उक्त प्रकरण धनराशि से सम्बन्धित है इसमें लेखा से सम्बन्धित या किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की भी राय ली जा सकती है। नोडल अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में गौला कॉरीडोर में किये गये रीवर ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्यों हेतु रु0 288.00 लाख का भुगतान गौला कार्पस में जमा किये बिना अपने स्तर से किया गया था, जिसमें गौला कार्पस समिति की स्वीकृति या अनुमोदन प्राप्त नहीं है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उक्त धनराशि गौला कार्पस मद में जमा की जानी उचित होगी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा निर्देशित किया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा तत्काल उक्त रु0 288.00 लाख की धनराशि गौला कार्पस Special purpose Vehicle (SPV) लाभांश मद में जमा की जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लाभांश मद की सम्पूर्ण धनराशि न जमा किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रभाग की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ऑडिट आपत्ति भी लगायी गयी है।

- (xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.-

किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखनिज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में IISWC Dehradun द्वारा समस्त नदियों की Replenishment study करवायी गयी है, जिसमें हर नदी से उपखनिज चुगान हेतु अधिकतम आयतन निर्धारित कर लिया गया है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में उक्तानुसार आंकलित एवं निर्धारित आयतन से अधिक मात्रा में उपखनिज चुगान न किया जाय। इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है।

- (xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमांऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.-

इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।

- (xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि चुगान सत्र 1, अक्टूबर से 31, मई तक होता है, परन्तु चुगान सत्र 2019-20 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी पत्र संख्या एफ0सी0-17/9/2020-एफ0सी0 दिनांक 04.06.2020 द्वारा चुगान सत्र को एक माह का अवधि विस्तार प्रदान किया, अर्थात् 30, जून 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। भारत सरकार द्वारा उक्त अनुमति के क्रम में औद्योगिक विकास (खनन), अनुभाग-1, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी पत्र संख्या 650/VII-A-1/2020/22ख/13 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी से अवशेष उपखनिज चुगान एवं निकासी की अनुमति की समयावधि दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित की गयी। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के उपरोक्त पत्रों के क्रम में गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी में विगत चुगान सत्र में माह जून 2020 में भी चुगान किया गया।

- (xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set.

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries.

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests.

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपखनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये। श्रमिकों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाय।

- (xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal.

मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।

- (xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry:

क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र ही उपलब्ध करायी जा रही है। विगत वर्ष की self-monitoring report राज्य सरकार तथा भारत सरकार को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा समिति के सदस्यों को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

- (xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड वन विकास निगम, भारत सरकार द्वारा



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड,
देहरादून



वन मुख्यालय, 85-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक-462 / 1-2 (5) / अन्तर्गत, दिनांक, 19-03-2021.
(HoFF)

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रवनी, देहरादून।
- 3- प्रमुख निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 4- निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक / गोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 6- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
- 7- मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 10- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
- 11- प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 12- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
- 13- डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
- 14- संस्कार संस्था।
- 15- आई.यू.सी.एन. इंडिया।
- 16- गार्ड फाइल।

संलग्न- बैठक की उपस्थिति।

19/3

(राजीव शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

"उत्तराखण्ड में मौला, कोशी, दामना व शारदा से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अयोचित शर्तों को अनुपालन" की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में युगांज रिश्ता अधिकारीगणों की उपस्थिति

दिनांक 20.02.2021

स्थान-कार्यालय वन संरक्षक, परिवर्षी वृत्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, हल्द्वारी

| क्रमांक | नाम व पदनाम | ई-मेल | हस्ताक्षर |
|---------|--|-------|-----------|
| 1 | श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून | | |
| 2 | डा० निनेश पांडेय, मुख्य वन संरक्षक / मरा प्रमुख/ डा. व. प्र. वि. वि. | | |
| 3 | डॉ. तेजस्विनी शरदिन्द पटेल CCF-Kumaon | | |
| 4 | जीवन चन्द्र जोशी, वन प्रमुख पार्वती क्षेत्र | | |
| 5 | राजू रीतू जोशी, DFO Kumaon | | |
| 6 | Tykeee Malhotra SANSARKI | | |
| 7 | Dr. Ashikhe, DFO Tarai Central | | |
| 8 | Himanshu Bagori DFO Tarai West | | |
| 9 | Kundan Kumar, DFO, Haldwari | | |
| 10 | M.C. Joshi A.M. (S) Kumaon | | |
| 11 | Prakash Anja DLM East Hdd. | | |
| 12 | H. Pal D.L.M Sharda | | |
| 13 | Y K Srivastava D.L.M Ganda | | |
| 14 | D.C. Bhatt D.L.M. Kumaon | | |
| 15 | Kulshan Kumar Sankar | | |
| 16 | अज्ञात अधिकारी (अज्ञात) | | |

'प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड' की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिजों के चुगान हेतु 'भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली' द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति (Forest Clearance) में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित 'मॉनिटरिंग' समिति की दिनांक 23.06.2020 को 'वीडियो कान्फ्रेंसिंग' के माध्यम से आयोजित बैठक का

कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों का विवरण निम्न है :-

'वीडियो कान्फ्रेंसिंग' - वन मुख्यालय, देहरादून :-

1. श्री मोनिष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री कपिल लाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री उमेश कुमार त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
5. श्री अनिल कुमार सिंह, WWF India।

'वीडियो कान्फ्रेंसिंग' - नैनीताल 'जू' :-

6. डा० विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
8. श्री जी०सी० पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक (कुमाऊँ क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
9. श्री हिमांशु बागरी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
10. श्री कुन्दन कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
11. श्री जे० पी० भट्ट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन हल्द्वानी।
12. श्री वाई० के० श्रीवास्तव, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन लालकुआं।
13. श्री के० के० उपाध्याय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन नन्धौर।
14. श्री अनीश अहमद, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन रामनगर।
15. श्री मेराज अनवर, WWF India।

बैठक के प्रारम्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। उनके द्वारा अवगत कराया कि गौला, कोसी, दाबका, शारदा व नन्धौर नदियों में 10 वर्षों के लिए उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है जिनके क्रम में 'मॉनिटरिंग' समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जानी है :-

| नदी का नाम | 'वन (संरक्षण) अधिनियम' के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति का आदेश संख्या तथा दिनांक |
|------------|---|
| गौला | F. No. 8-61/1999-FC, 23 rd January 2013 |
| नन्धौर | F. No. 8-34/1916-FC, 6 th September 2017 |
| शारदा | F. No. 8-61/1999-FC (pt-III), 11 th February 2013 |
| कोसी | F. No. 8-61/1999-FC (pt-I), 15 th February 2013 |
| दाबका | F. No. 8-61/1999-FC (pt-II), 15 th February 2013 |

अग्रेत्तर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

| नदी का नाम | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति दी गयी है (हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|------------------------|---|
| गौला | नैनीताल | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 1497 |
| नन्धौर | नैनीताल ऊधमसिंह नगर | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 468 |
| शारदा | चम्पावत | हल्द्वानी वन प्रभाग | 384.69 |
| कोसी | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 254 |
| दाबका | चम्पावत | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 223 |

उपरोक्त नदियों से उप खनिज चुगान संबंधी विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

| नदी का नाम | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में) | CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2019-20 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में) | दि 21.06.2020 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में) |
|------------|---|--|---|
| गौला | 54.25 | 30.66 | 24.86 |
| नन्धौर | 20.30 | 6.94 | 6.89 |
| शारदा | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 4.44 | 2.78 |
| कोसी | Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 4.57 | 2.97 |
| दाबका | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 0.77 | 0.77 (दि. 14.06.2020 को उप खनिज चुगान इस चुगान सत्र में बंद कर दिया गया) |

समिति पांचों नदियों की चुगान अनुमति के सापेक्ष अधिरोपित शर्तों से अवगत हुई। अधिरोपित शर्तों के अनुपालन का मुख्यतः दायित्व कार्यदायी संस्था अर्थात् उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। पांचों नदियों में भारत सरकार द्वारा चुगान की जो अनुमति प्रदत्त की गयी है, उनमें से अधिकतर शर्तें एक समान हैं। अतः ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम सबसे बड़ी नदी गौला की शर्तों के संदर्भ में सभी हेतु अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात अन्य नदियों के लिए विहित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

Forest Clearance में अधिरोपित शर्तों की शर्तवार व नदीवार समीक्षा का विवरण अग्रेत्तर दिया गया है :-

82

गौला नदी :-

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged - नदी में चुगान हेतु हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि ज्यों-की-त्यों आरक्षित वन क्षेत्र बनी हुई है। अतः इस बिन्दु का अनुपालन हो रहा है।
- (ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला नदी के वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष प्रतिवर्ष 150 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य तराई पूर्वी वन प्रभाग को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण उपर्युक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि वर्ष 2013 में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अब तक किस नदी के सापेक्ष कितना क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है तथा आगामी वर्षों में अवशेष क्षतिपूरक वृक्षारोपण को सम्पादित किये जाने की क्या योजना है - उससे सम्बन्धित विवरण प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA - समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम की ओर से बताया गया कि निगम पर NPV की देयता मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत समिति के संज्ञान में यह आया कि हरिद्वार में नदियों में चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता अन्य नदियों (गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर इत्यादि) हेतु बनती है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु आवश्यक पत्र प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की ओर से उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जाये, जिसकी प्रति नोडल अधिकारी को भी कर दी जाये, ताकि इस बात पर स्थिति स्पष्ट करायी जा सके कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की जानी है अथवा नहीं? पत्र का आलेख, आवश्यक विवरण के साथ प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग शीघ्र प्रस्तुत करेंगे।
- (iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुमाऊँ की चार नदियों गौला, शारदा, कोसी एवं दाबका का Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है और यदि Environment Clearance को समय रहते नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चुगान सत्र 2020-21 के मध्य में ही नदियों से चुगान बन्द करना आवश्यक हो जायेगा। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(कार्यदायी संस्था) को तत्काल Environment Clearance के नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया ताकि भविष्य में चुगान के कार्य में बाधा न पड़े।

- (v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जा रही है।
- (vi) The State Government shall not allow any new facility/structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion-headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/Railway line upto the Bindu Khatta settlement - मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion- headquarters को दक्षिण की ओर shift कर दिया गया है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the Gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the Gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor-minerals from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from the said stretch of the river bed, to maintain river geometry - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 किमी० क्षेत्र में विगत वर्ष बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में एकत्रित आर०बी०एम० को निकटवर्ती क्षेत्रों में आपदा के दृष्टिगत जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आपदा अधिनियम के अधीन जारी आदेश के क्रम में 'चैनलाईज' करा दिया गया है तथा उक्त 'चैनलाईजेशन' के फलस्वरूप निकले हुए आर०बी०एम० को चैनल के दोनों तरफ एकत्रित कर रखा गया है। मौके पर उक्त आर०बी०एम० पड़ा हुआ है, जिसका आगामी वर्षाकाल में नीचे के क्षेत्रों में बह जाने की सम्भावना है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस बिन्दु पर विचार करने हेतु पूर्व में बनायी गयी समिति के अध्यक्ष को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की ओर से पत्र प्रेषित कर, प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अगले चुगान सत्र से पूर्व करने हेतु निर्देशित किया जाये। समिति समुचित विचार कर गौला के किनारे-किनारे एकत्रित किये गये उपखनिज की निकासी किये जाने पर विचार कर संस्तुति करेगी। यदि उक्त एकत्रित आर०बी०एम० को उक्त क्षेत्र से हटाया जाना समिति आवश्यक समझे तो ऐसी स्थिति में वांछित प्रयोजन हेतु मशीनों (जे०सी०बी० इत्यादि) का प्रयोग किये जाने पर भी समिति अपना मन्तव्य देगी।
- (viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundarkhal village by using State CAMPA funds - प्राप्त

जानकारी के अनुसार सुन्दरखाल गाँव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। शासन को इस संबंध में अनुस्मारक प्रेषित किया जाये।

- (ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year - इस शर्त के अनुपालन में ही इस 'मॉनिटरिंग कमेटी' का राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है तथा पूर्व की भाँति समिति की यह वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।
- (x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु 'रजिस्टर्ड' वाहनों के 'रजिस्ट्रेशन' की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्पन्न की जाती है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु वन विकास निगम के स्तर से कोई procedure formulate नहीं किया गया है। अतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक इस हेतु एक स्थाई आदेश निर्गत करें।
- (xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special Purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals - इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special Purpose Vehicle (SPV - गौला कार्पस) में जमा नहीं किया जा रहा है। Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था (वन विकास निगम) की balance-sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम का यह कथन था कि गौला कार्पस में जितनी धनराशि जमा की जानी है उतनी ही जमा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने विगत वर्ष इस 'मॉनीटरिंग कमेटी' की बैठक दिनांक 25.04.2019 में इस संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत किए गये थे। उक्त बैठक का कार्यवृत्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के पत्रांक पी0ओ0/1489 दिनांक 27.04.2019 द्वारा जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 (xi) के अनुसार - "उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भाँति लाभांश के रूप में एकत्रित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि Special Purpose Vehicle (SPV) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षों की 50 प्रतिशत धनराशि जो

कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्र सम्बन्धित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करे।" 'मॉनीटरिंग कमेटी' के उक्त निर्देशों के पश्चात भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा गौला, दाबका एवं नन्धौर नदी के Special Purpose Vehicle (SPV) में लाभांश की 50 प्रतिशत धनराशि को ही जमा किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने पत्रांक उ-5027/एस0पी0वी0 दिनांक 27.11.2019 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड से Special Purpose Vehicle (SPV) के उक्त आदेश को संशोधित करने का अनुरोध किया है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लाभांश मद की सम्पूर्ण धनराशि न जमा किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रभाग की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ऑडिट आपत्ति भी लगायी गयी है।

उपरोक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने Special Purpose Vehicle (SPV) में जमा की जाने वाली धनराशि के निर्धारण हेतु पृथक से एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ उक्त के सम्बन्ध में उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्पूर्ण स्थिति व प्रकरण में अपने मत से शीघ्र अवगत करायें।

- (xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखिनज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है।
- (xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meters and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआँ एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season - इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि यद्यपि चुगान सत्र 1, अक्टूबर से 31, मई तक होता है, परन्तु इस चुगान सत्र में

कोविड-19 महामारी तथा उसके चलते 'लॉकडाउन' के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ0सी0-17/9/2020-एफ0सी0 दिनांक 04.06.2020 द्वारा इस चुगान सत्र को 31, मई 2020 की बजाय 30, जून 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार द्वारा उक्त अनुमति के क्रम में औद्योगिक विकास (खनन), अनुभाग-1, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी पत्र संख्या 650/VII-A-1/2020/22ख/13 दिनांक 05.06.2020 द्वारा गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी से अवशेष उपखनिज चुगान एवं निकासी की अनुमति की समयावधि दिनांक 30.06.2020 तक विस्तारित की है। भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के उपरोक्त पत्रों के क्रम में गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं शारदा नदी में इस चुगान सत्र में माह जून में भी चुगान किया गया/जा रहा है।

- (xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries - प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests - प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उपखनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए अनुमन्य की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये। श्रमिकों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए कोविड-19 से बचने के लिए उपयुक्त सामग्री भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम के स्तर से उपलब्ध करायी जाये।
- (xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from



adjoining pillars etc - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन 'पिलर्स' के माध्यम से कर इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

- (xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal - मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।
- (xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry - क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त की एक प्रति वन विभाग को भी शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time-to-time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, भारत सरकार द्वारा जारी "Sustainable Sand Mining Guidelines" का अध्ययन कर ले तथा उसका भी अनुपालन सुनिश्चित करे।
- (xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

नन्धौर नदी :-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार प्रावधान है कि - 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area. उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यवाही संस्था (उत्तराखण्ड वन विकास निगम) द्वारा चुगान सत्र 2019-20 में बिना वन विभाग की सहमति के रिवर ट्रेनिंग मद के सापेक्ष वसूली स्वतः ही बन्द कर दी है। उक्त के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने उक्त विषय पर चर्चा हेतु पृथक से एक बैठक आयोजित करने के निर्देश निर्गत किए।



कोसी एवं दाबका नदी :-

भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की अधिकतर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान ही हैं। बिन्दु संख्या-4 के अनुसार अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है :-

No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Dabka river located on northern side of the Ramnagar- Haldwani Highway.

(xxvii) प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा गौला पुल के उत्तरी भाग से उपखनिज का चुगान नहीं किया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

शारदा नदी :-


भारत सरकार द्वारा कोसी एवं दाबका नदी से उपखनिज चुगान हेतु प्रदत्त अनुमति की अधिकतर शर्तें गौला नदी की अनुमति के समान हैं। बिन्दु संख्या-4 एवं 9 में अधिरोपित शर्त निम्नानुसार है :-

4- No collection of minor minerals shall be permitted from the portion of the Sharda river located on the upstream of the Sharda Barrage.

9- The State Government shall through the Central Soil & Water Conservation, Dehradun assess the quantity of minor minerals that may be sustainably be collected from the said portion of the Sharda river and intimate the same to MoEFCC.

(xxviii) क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह अवगत कराया गया कि शारदा नदी से उपखनिज चुगान में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun द्वारा आकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज का चुगान किया जा रहा है तथा इस संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट को MoEFCC भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जा रहा है। समिति इस संबंध में संतुष्ट हुई।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।


(जय राज)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।




कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

दूरसं० 0135-2748834, 2741481, फ़ैक्स-2741630, 2741462 ईमेल - pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या- P.O./102 देहरादून, दिनांक, 06, अगस्त, 2020।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, चन्द्रवनी, देहरादून।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 4- निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 6- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
- 7- मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 9- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी (कृपया *italics* द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें)।
- 10- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
- 11- प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 12- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ., इंडिया।
- 13- डब्ल्यू.टी.आई., इंडिया।
- 14- संस्कार संस्था।
- 15- आई.यू.सी.एन., इंडिया।


(जय राज) 06/08/2020

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 25.04.2019 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, देहरादून में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति-

1. श्रीमती रंजना काला, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. श्री मोनीष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. श्री डी0जे0के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4. श्री के0एम0 राव, अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. डा0 कपिल जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
7. डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
8. श्री0 जी0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
9. श्री एम0पी0एस0 रावत, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ।
10. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
11. श्री हिमांशु बागडी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग।
12. श्री प्रकाश आर्य, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी हल्द्वानी प्रभाग।
13. श्री प्रेम सिंह बोरा, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, नन्धौर।
14. श्री एस0 सूरीन, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (मुख्यालय) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
15. श्री अनिल कुमार सिंह, टीम लीडर WWF, तराई आर्क लैण्डस्केप।
16. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधि WTI
17. श्री मेराज अनवर, प्रतिनिधि (ALC) WWF India

बैठक प्रारम्भ करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं अन्य उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर नदियों में 10 वर्षों के लिये उप खनिज चुगान हेतु अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित आदेशों से कतिपय शर्तों के अधीन प्राप्त हुई है।

| नदी का नाम | वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति की आदेश संख्या तथा अनुमति की प्राप्ति का दिनांक |
|------------|---|
| गौला | F. No.8-61/1999-FC, 23 rd January 2013 |
| नन्धौर | F. No.8-34/2016-FC, 6 th September 2017 |
| शारदा | F. No.8-61/1999-FC (pt-III), 11 th February 2013 |
| कोसी | F. No.8-61/1999-FC (pt-I), 15 th February 2013 |
| दाबका | F. No.8-61/1999-FC (pt-II), 15 th February 2013 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

उक्त मॉनिटरिंग समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जानी है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा समिति के सदस्यों को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया।

| नदी का नाम | जनपद का नाम | प्रभाग का नाम | नदी का वह क्षेत्रफल जिसमें चुगान की अनुमति प्राप्त है |
|------------|------------------------|------------------------|---|
| गौला | नैनीताल | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 1497 |
| नन्धौर | नैनीताल एवं उधमसिंहनगर | तराई पूर्वी वन प्रभाग | 468 |
| शारदा | चम्पावत | हल्द्वानी वन प्रभाग | 384.69 |
| कोसी | नैनीताल | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 254 |
| दाबका | नैनीताल | तराई पश्चिमी वन प्रभाग | 223 |

उपरोक्त नदियों से उप खनिज चुगान की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

| नदी का नाम | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार, उप खनिज चुगान की अधिकतम मात्रा (लाख घन मीटर में) | CSWCRTI (IISWC) द्वारा सर्वे उपरान्त चुगान सत्र 2018-19 हेतु अनुमानित मात्रा (लाख घन मीटर में) | दि 24.04.2019 तक उप खनिज चुगान की मात्रा (लाख घन मीटर में) |
|------------|--|--|---|
| गौला | 54.25 | 34.55 | 32.179 |
| नन्धौर | 20.30 | 11.017 | 7.00 |
| शारदा | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 4.50 | 3.00 |
| कोसी | Recommended संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 6.27 | 3.50 |
| दाबका | CSWCRTI द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानित मात्रा | 0.51 | 0.50 (दि. 12.03.2019 को उप खनिज चुगान इस चुगान सत्र में बंद कर दिया गया) |

तत्पश्चात उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतिनिधि के रूप में प्रभागीय लौंगिंग प्रबन्धक, नन्धौर खनन द्वारा उक्त पांचों नदियों की चुगान अनुमति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार किया गया:-







गौला नदी-

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged. - नदी की हस्तान्तरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त भूमि आज भी आरक्षित वन क्षेत्र है।
- (ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency. - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि प्रतिवर्ष 150 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार 10 वर्षों में कुल 1500 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि वर्ष 2013 में अनुमति प्राप्त होने के पश्चात अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थलीय विवरण तथा उसकी सफलता प्रतिशत से प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय को अवगत कराया जाय।

- (iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same of the ad-hoc CAMPA. - समिति के संज्ञान में यह आया कि गौला तथा अन्य नदियों में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम का यह मत है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में नहीं बनती है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है। समिति के संज्ञान में यह आया कि हरिद्वार की नदियों में चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा NPV जमा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर NPV की देयता अन्य नदियों (गौला, कोसी, दाबका, शारदा, नन्धौर इत्यादि) हेतु बनती है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

1. श्री डी०जे०के० शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून - अध्यक्ष
2. श्री के०एम० राव, अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. डा० विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. डा० पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।
5. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
6. श्री आकाश वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग।

उक्त समिति 15 दिनों में NPV की देयता के संबंध में रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


- (iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गौला नदी में चुगान हेतु प्रदत्त Environment Clearance की शर्तों की समीक्षा भी अगली बैठक में की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अगली बैठक में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड,


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी विशेष आमंत्रि के रूप में बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाये। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने कार्यदायी संस्था वन विकास निगम को अभी से Environment Clearance सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देशित किया क्योंकि गौला नदी चुगान हेतु Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है। जबकि Forest Clearance 2023 तक वैध है। वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि नन्धौर नदी में चुगान हेतु प्राप्त Environment Clearance में अधिरोपित शर्तों के अनुसार बनाये गये Species Conservation Plan के सापेक्ष अभी तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने यह सहमति व्यक्त की कि Species Conservation Plan के अनुपालन हेतु रु0 2 करोड़ की धनराशि अगले 15 दिवसों में संबंधित प्रभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि Species Conservation Plan के अनुपालन हेतु प्राप्त धनराशि को प्रभाग के गौला कार्पस एस0पी0वी0 (वन जमा) में जमा किया जाये तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उक्त प्लान को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्तावित गतिविधियों को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड से Approve कराने के बाद ही उक्त धनराशि को व्यय किया जायेगा। WTI के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि उप खनिज चुगान में लगे हुए वाहनों द्वारा प्रत्येक 03 माह में नवीन प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं लिया जाता है, जिस पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम को यह निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि चुगान में लगे हुए वाहनों की प्रत्येक 03 माह में प्रदूषण से संबंधित जांच हो और जो वाहन प्रदूषण के मानकों के अनुरूप हैं, केवल उन्हें ही उप खनिज चुगान की अनुमति दी जाये।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; - उक्त शर्त के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम (user agency) द्वारा कृत कार्यवाही से समिति के सदस्य सहमत नहीं थे, जिसके क्रम में समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि बिन्दुखत्ता में निवासरत लोगों को जागरूक किया जाय तथा उनके साथ बैठके कर उन्हें वन्यजीवों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु प्रयास किये जायें। उक्त प्रयास में संबंधित प्रभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाय। इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जाये।

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement; - वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है। बैठक में उपस्थित WTI के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में लालकुआं के निकट कॉरिडोर क्षेत्र में वन्यजीवों के









आवागमन हेतु अन्डरपास बनाया जाना आवश्यक है, जिसके क्रम में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह भी अवगत कराया कि लालकुआं के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग में अन्डरपास बनाये जाने हेतु वन विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्डरपास शीघ्र बनाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry; - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत 2.50 km क्षेत्र में विगत वर्ष बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में एकत्रित आर0बी0एम0 को निकटवर्ती क्षेत्रों में आपदा के दृष्टिगत जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आपदा अधिनियम के अधीन जारी आदेश के क्रम में चैनलाईज करा दिया गया है तथा उक्त चैनलाईजेशन के फलस्वरूप निकले हुए आर0बी0एम0 को चैनल के दोनों तरफ एकत्रित कर दिया गया है। मौके पर उक्त आर0बी0एम0 पड़ा हुआ है, जिसका आगामी वर्षाकाल में बह कर नीचे के क्षेत्रों में बह जाने की सम्भावना है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि मॉनिटरिंग कमेटी की एक सब कमेटी बनायी जाये जो कि प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण अगले 01 सप्ताह के अन्तर्गत करे तथा अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेगी। कमेटी का यह मेन्डेट होगा कि वह देख ले कि उक्त कॉरिडोर क्षेत्र में चैनल बनाये जाने के पश्चात जो आर0बी0एम0 एकत्रित हुआ है, उसकी वजह से वन्यजीवों के आवागमन पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। साथ ही इस बात की भी समीक्षा कर ले कि उक्त आर0बी0एम0 के निचले क्षेत्रों में बह जाने के कारण आबादी क्षेत्रों में आपदा आने की सम्भावना तो नहीं है। यदि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त एकत्रित आर0बी0एम0 को उक्त क्षेत्र से हटाया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में मशीनों (जे0सी0बी0 इत्यादि) का प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। उक्त के साथ ही सब कमेटी गौला नदी में वर्तमान की स्थिति में उप खनिज की उपलब्धता के संबंध में CSWCRTI (IISWC) द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट का आंकलन करेगी तथा गौला नदी में उपलब्ध उप खनिज की मात्रा का आंकलन तथा गौला नदी में उपलब्ध उप खनिज के सापेक्ष कब तक (अथवा किस मात्रा तक) चुगान की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। इस संबंध में भी स्पष्ट रिपोर्ट 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगी। उक्त सब कमेटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- 1- श्री मोनीष मल्लिक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून - अध्यक्ष
- 2- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित)।
- 3- श्री रंजन मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं वन्यजीव संरक्षण और आसूचना, उत्तराखण्ड। प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में।
- 4- डा0 विवेक पाण्डे, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
- 5- निदेशक, IISWC के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित)।
- 6- डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।






5 | Page

- 7- जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रतिनिधि (विशेष आमंत्रित)।
- 8- श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग।
- 9- श्री अनिल कुमार सिंह, टीम लीडर WWF, India, तराई आर्क लैण्डस्केप।

- (viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sunderkhal village by using State CAMPA funds; - इस बिन्दु के संबंध में विगत वर्ष की बैठक में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया था कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
- (ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year;- इस शर्त के अनुपालन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी राज्य सरकार द्वारा गठित कर दी गयी है तथा आज उक्त समिति की वार्षिक बैठक सम्पन्न की जा रही है।
- (x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; :- उक्त बिन्दु के अनुपालन के संबंध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नदियों से चुगान हेतु रजिस्टर्ड वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा चुगान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से एवं बिना किसी भेद भाव के सम्पन्न की जाती है।
- (xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals. :- इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि गौला नदी में लाभांश के रूप में चुगान के फलस्वरूप अर्जित रायल्टी की दरों के 10 प्रतिशत (वर्तमान में 85 पैसे प्रति कुन्तल) की धनराशि गौला कार्पस में जमा की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि लाभांश के रूप में अर्जित धनराशि का 50 प्रतिशत ही कोसी, दाबका कार्पस निधि में जमा किया जा रहा है। उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि, चूंकि कार्यदायी संस्था (उत्तराखण्ड वन विकास निगम) द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को संबंधित नदियों के Special purpose Vehicle (SPV) कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है। अतः जब तक राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से उक्त बिन्दु पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक उत्तराखण्ड वन विकास निगम उन नदियों (जैसे कि शारदा नदी) को छोड़ते हुए जिनके लिये राज्य सरकार के स्तर से लाभांश की 50 प्रतिशत धनराशि (SPV) कार्पस में जमा करने के specific निर्देश निर्गत किये गये हैं, शेष समस्त नदियों (जैसे कि कोसी, दाबका, नन्धौर इत्यादि) में गौला नदी की भांति लाभांश के रूप में अर्जित धनराशि का 100 प्रतिशत कार्पस निधि (Special purpose Vehicle) में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त नदियों की विगत वर्षों की 50 प्रतिशत धनराशि जो कार्यदायी संस्था के पास है, उक्त धनराशि को भी शीघ्रतिशीघ्र संबंधित कार्पस निधियों में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- (xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखनिज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि चूंकि प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा अलग-अलग होती है तथा नदी में वर्षा के जल के साथ बहकर आने वाले उपखनिज की मात्रा भी अलग-अलग होती है इसलिए प्रत्येक वर्ष नदी में उपखनिज की मात्रा का आंकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा उस आंकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज के चुगान की कार्यवाही सम्बन्धित चुगान सत्र में की जानी चाहिए। मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ ने भी नदी से उपखनिज को sustainably चुगान करने की बात कही गयी।
- (xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank.- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि नदी के मध्य के 50 प्रतिशत क्षेत्र को सीमांकित करने के पश्चात ही चुगान कार्य शुरू किया जाता है। अतः इस शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, नन्धौर द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.- इस शर्त के अनुपालन के फलस्वरूप आवश्यकतानुसार चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है।
- (xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.-

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, नन्धौर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उप खनिज चुगान कार्य में लगे हुए श्रमिकों को कार्यदायी संस्था की तरफ से दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं सुविधायें अत्यन्त पारदर्शी तरीके से एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी श्रमिक उक्त क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें पीने हेतु शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाये। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में श्रमिकों को उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री को संबंधित प्रभाग के वनाधिकारियों तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में ही वितरित किया जाये।
- (xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।
- (xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; इस शर्त का अनुपालन कार्यदायी संस्था से अभी भी अपेक्षित है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इस चुगान सत्र की समाप्ति के बाद 01 सप्ताह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम वार्षिक self-monitoring report राज्य सरकार को तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जाये।
- (xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and. भारत सरकार पर्यावरण

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है।



(xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊँ एवं रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी-

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, नन्धौर खनन द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त सं० (ii) की तरफ समिति का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार "(ii) 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया कि संबंधित प्रभाग की नन्धौर नदी की catchment area treatment हेतु बजट की कोई मांग हो तो, इस हेतु प्रस्ताव तैयार कर इस बिन्दु का उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड शासन से बजट की मांग की जा सकती है।

कोसी, दाबका एवं शारदा नदी-

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि चूंकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों में से अधिकांश शर्तें एक समान हैं। अतः जिस प्रकार के निर्देश अनुपालन हेतु गौला नदी के संदर्भ में दिये गये हैं, उक्त समस्त निर्देश कोसी दाबका एवं शारदा नदियों के लिए भी प्रभावी होंगे। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम से यह भी अपेक्षा की कि इस बात का परीक्षण कर लिया जाये कि आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली किसी अन्य नदी में से भी अगर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा अथवा आपदा के दृष्टिगत चुगान किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी नदियों के संबंध में वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाय, जिससे कि जहां एक तरफ वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं निकटवर्ती आबादी क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके वहीं दूसरी तरफ राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी हो सके। वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त ने बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को इस अतिमहत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।



(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।





कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड,
देहरादून



वन मुख्यालय, 85-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक-

P.O/ 1489


/ देहरादून, दिनांक,

27- 2019.

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 3- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 4- मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 5- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 6- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7- निदेशक वन्य जीव संस्थान, देहरादून।
- 8- डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया।
- 9- डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया।
- 10- संस्कार संस्था।
- 11- आई.यू.सी.एन. इंडिया।
- 12- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
- 13- प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
- 14- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।







संलग्न- बैठक की उपस्थिति।


(जय राज) 27/04/19

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गौला, नन्धौर/कैलाश, कोसी, दाबका व शारदा से उप खनिज के चुगान संबंधी भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा के संबंध में दिनांक 25.04.2019 को आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाईल नम्बर | हस्ताक्षर |
|-------------|--------------------|--|--------------|-----------|
| 1- | श्री जय राज | प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड | 9412053604 | |
| 2 | रंजना माला | प्र.व.न वन संरक्षक/cww | 9450192115 | af |
| 3 | मोनीष बलिलड | प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड का विकास निगम | 9458192113 | for |
| 4. | वी जेठ केशरी | APCCF/Nodal | 9837007573 | |
| 5. | के.एम.शिव | AMD/UKFDC | 9456331971 | |
| 6. | शकपिल जोशी | APCCF (adm ⁿ) | 9412085207 | |
| 7. | SD परम मधुर एकांति | C.F. Western Haldwari | 9197105767 | |
| 8. | जी.दी.पति | Regional Manager Western Region | 9568003211 | |
| 9. | एम.पी.एस.शिव | Regional Manager U.P. Forest Comfante | 9568003205 | |
| 10 | SD विवेक पांडे | C.C.F (Kumaun) Nainital | 9412087818 | |
| 11. | नितीश मणि बिपाठी | Deputy Manager DFO, Terai East | 7880811111 | |

| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पदनाम | मोबाईल नम्बर | हस्ताक्षर |
|-------------|-------------------|---|--------------|---|
| 12 | प्रकाश आर्य | प्रमोद लोडिंग प्र-ए.ए. पूर्व ए.ए. प्रमोद | 941076337 |  |
| 13 | प्रेम सिंह बोरा | प्रमोद लोडिंग प्र-ए.ए. रतन नगर | 9568003243 |  |
| 14 | दिमाशुं बमारी | DFO, Torai West | 8050888515 |  |
| 15 | MERAS ANWAR | ALC, WWF | 9458313883 |  |
| 16 | ANIL K UMAR SINGH | Team leader - WWF TAL | 9960111709 | AKSEN |
| 17 | Dheeta Pandey | Wildlife Trust of India | 9412999724 |  |
| 18 | Singray Surin | D.L.M (HQ) U.K.P.D. corporation Dehradun. | 7088051444 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



उत्तराखण्ड में गौला, कोसी, दाबका, शारदा एवं नन्धौर नदियों से उपखनिज के चुगान स्वीकृति सम्बन्धी भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 29.05.2018 को शताब्दी समागार वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति-

1. डा0 कपिल जोशी, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं।
2. डा0 पराग मधुकर धकाते, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त/निदेशक कार्वेट टाईगर रिजर्व।
3. श्री0 जी0सी0 पन्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।
4. श्री डी0के0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी।
5. डा0 चन्द्रशेखर सनवाल, प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी।
6. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी।
7. श्रीमती कल्याणी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय।
8. श्री एन0 के0 वाष्णीय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, लालकुआं।
9. श्री के0एस0 रावत, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, हल्द्वानी।
10. श्री प्रेम सिंह बोरा, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, नन्धौर।
11. श्री हरीश पाल, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, शारदा।
12. श्री अनीश अहमद, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन प्रभाग, रामनगर।
13. श्री मेराज अनवर, प्रतिनिधि WWF India
14. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधि WTI
15. श्री प्रकाश चन्द्र आर्या, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज।
16. श्री गजेन्द्र कँतुरा, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने बैठक में उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा यह अपेक्षा की गयी कि भविष्य की बैठकों में यदि किसी कारणवश प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम न आ सकें तो उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी उत्तराखण्ड वन विकास निगम में कार्यरत हों वह बैठक में प्रतिभाग करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सदस्यगण इस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं वह भी भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभाग करें।

गौला नदी- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि गौला नदी में चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8-81/1999-एफ.सी. दि. 23.01.2013 से 10 वर्षों हेतु प्राप्त हुई है।

- (i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (ii) Compensatory afforestation over degraded forest land equal in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the state forest department from funds realised from the user agency. - प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग ने यह अवगत कराया कि प्रतिवर्ष 150 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस प्रकार 10 वर्षों

में कुल 1500 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थलीय निरीक्षण वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा एक माह के अन्तर्गत कर लिया जाय तथा निरीक्षण आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाय। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह भी निर्देश दिये कि उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों का अनुरक्षण न्यूनतम पांच वर्षों तक किया जाय।


(iii) The state government shall realise from the user agency the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision fo the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same of the ad-hoc CAMPA. - No additional amount of NPV has been imposed on the user agency.

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required; - क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि इस शर्त का अनुपालन कर दिया गया है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गौला नदी में चुगान हेतु प्रदत्त Environment Clearance की शर्तों की समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी उक्त शर्तों की अनुपालन की समीक्षा किये जाने के निर्देश निर्गत किये। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ को यह निर्देशित किया कि वह भी अपने स्तर से Environment Clearance के अनुपालन की समीक्षा कर लें जिसमें वन विभाग से सम्बन्धित शर्तों की भी समीक्षा कर ली जाय। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने कार्यदायी संस्था वन विकास निगम को अभी से Environment Clearance सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने हेतु निर्देशित किया क्योंकि गौला नदी चुगान हेतु Environment Clearance वर्ष 2021 में समाप्त होने वाला है। जबकि Forest Clearance 2023 तक वैध है।

(v) The State Government and the user agency shall work with local residents of Bindu Khatta to give safe and uninterrupted passage to the wild animals passing through the Gola corridor, expedite payment of compensation in case of any damage to property etc. and generally increase awareness of the methods of co-existence of man and wildlife; - इस शर्त का अनुपालन किया जा रहा है तथा मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में मुआवजा देने की कार्यवाही त्वरित रूप से की जा रही है।

(vi) The State Government shall not allow any new facility/ structure within the Gola corridor to ensure its restoration in future. The State Government shall also ensure that the boundary of the ITBP battalion headquarters be shifted towards south so as to ensure that it is located entirely on southern side of the Gola corridor and that the corridor is maintained free of fresh obstructions from the Highway/ Railway line upto the Bindu Katha settlement; - वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा ITBP battalion headquarters को दक्षिण की तरफ Shift कर दिया गया है।

(vii) To eliminate disturbance from collection of minor minerals on movement of wild animals along the gola corridor, collection of minor minerals in a 2.50 km long stretch of the river bed located on the gola corridor shall be prohibited. However, in



case it is observed that non-collection of minor mineral from the corridor results in major floods in adjoining areas, the user agency, under strict supervision of the State Forest Department and representative of the Chief Wildlife Warden, may undertake periodic accelerated collection (during the period having least frequency of wildlife movement) of minor minerals from said stretch of the river bed, to maintain river geometry; - उक्त शर्त के क्रम में आज दिनांक 29.05.2018 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, वन विभाग, वन निगम के अधिकारी, मा0 विधायक लालकुआं तथा अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा गौला कॉरीडोर का भ्रमण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण मध्ये यह पाया गया कि प्रश्नगत 2.50 km क्षेत्र के बाये किनारे पर बड़ी मात्रा में आर0वी0एम0 टापू के रूप में एकत्र हो गया है। इसके कारण नदी का दाया तट बाढ़ की जद में आ सकता है। इस टापू में नदी के प्रवाह को दाये किनारे को काटने से रोकने के लिए एक चैनल बनाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा बनायी गयी समिति, प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति द्वारा शर्त संख्या (vii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त वन्यजीव कॉरीडोर की उपयुक्तता आज भी है या नहीं इस सम्बन्ध में भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून से अध्ययन करा लिया जाय।

- (viii) To restore the functionality and utility of the migratory corridor linking Corbet Tiger Reserve with the Pawalgarh Conservation Reserve, the State Government may explore feasibility to relocate the settlements from the Sundarkhal village by using State CAMPA funds; - निदेशक कार्वेट टाईगर रिजर्व द्वारा यह अवगत कराया गया कि सुन्दरखाल गांव को विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
- (ix) The State Government shall constitute a committee under Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forest, Government of Uttarakhand and having the representative of the Ministry of Environment & Forests, Wildlife Institute, Dehradun and NGOs such as Sanskara, WWF-India, WTI, IUCN etc. as its members to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year; - इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (x) To ensure extraction of minor minerals in a sustainable manner the user agency shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for extraction of the minor minerals from the diverted forest land; - प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि श्रमिकों के पारदर्शी एवं unbiased engagement हेतु वन विकास निगम के स्तर से कोई procedure formulate नहीं किया गया है। अतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम के उच्च अधिकारी इस हेतु एक स्थाई आदेश निर्गत करें।

(xi) Fifty percent of the net profit earned by the user agency from the collection of minor minerals shall be deposited to a Special purpose Vehicle (SPV) to be constituted by the State Government under the Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Government of Uttarakhand. The amount to be deposited in the SPV shall be used exclusively for river training activities and management & protection of forest & wildlife in vicinity of forest land diverted for collection of minor minerals. :- इस शर्त के क्रम में वन विभाग का यह मत है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने Net Profit के 50 प्रतिशत को Special purpose Vehicle (SPV) गौला कार्पस में जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि Net Profit का calculation कार्यदायी संस्था की balance sheet के आधार पर होना चाहिए। इस क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक वन विकास निगम, रामनगर का यह कथन था कि गौला कार्पस में जितनी धनराशि जमा की जानी है उतनी ही जमा की जा रही है। बैठक में इस बात का भी उल्लेख हुआ कि पिछले वर्ष मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित गौला कार्पस की बैठक, जिसमें प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम भी उपस्थित थे, में भी इस विषय पर चर्चा हुयी थी तथा बैठक के कार्यवृत्त में भी इस बात का उल्लेख है परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें कार्यदायी संस्था के चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट तथा वन विभाग की ओर से भी एक चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट/एक्सपर्ट को भी बुलाया जायेगा, ताकि इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय लिया जा सके।


(xii) The total quantity of minor minerals extracted during a year shall not be more than 54.25 lakh cubic meter.- इस शर्त अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी चुगान सत्र में 54.25 लाख घ0मी0 से अधिक उपखनिज के चुगान की अनुमति नहीं दी जाती है। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर ने यह अवगत कराया कि चूंकि प्रतिवर्ष वर्षा की मात्रा अलग-अलग होती है तथा नदी में वर्षा के जल के साथ बहकर आने वाले उपखनिज की मात्रा भी अलग-अलग होती है इसलिए प्रत्येक वर्ष नदी में उपखनिज की मात्रा का आंकलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा उस आंकलित मात्रा के अनुसार ही उपखनिज के चुगान की कार्यवाही सम्बन्धित चुगान सत्र में की जानी चाहिए। मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं ने भी नदी से उपखनिज को sustainably चुगान करने के लिए हर वर्ष किसी उच्च संस्थान से सर्वे कराये जाने पर सहमति व्यक्त की। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार मानसून से पूर्व जून के आखिरी सप्ताह में तथा मानसून के पश्चात सितम्बर के आखिरी सप्ताह में नदी तल में चुगान हेतु उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का आंकलन Indian Institute of Soil and Water Conservation कौलागढ़ रोड, देहरादून के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय। तथा इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नदी तल से उपखनिज का चुगान किया जाय।

(xiii) Extraction of minor minerals shall be restricted to the middle half of the width of river bed after leaving intact one fourth of width of the river bed along its each bank - प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(xiv) To ensure maintenance of river geometry, collection of minor minerals during a working season shall start from centre of the river width and shall gradually extend to

the boundary of the permissible area. The maximum permissible depth for collection of minor minerals at centre of the river width shall be limited to 3 meter and it shall gradually be reduced till it reaches boundary of the permissible zone.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

- (xv) To regulate and maintain record of the quantity of minor minerals extracted during a season, the State Forest Department shall set up adequate number of check posts during the collection season.- इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xvi) Extraction of minor mineral shall be restricted from 1st October to 31st May of the subsequent year.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xvii) Minor minerals shall be collected manually by using hand tools. Use of explosive and heavy machineries for breaking/collection of minor minerals shall be strictly prohibited.- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xviii) Collection time shall be from sun-rise to sun-set. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xix) No labour camp shall be set up in the forest area for the labourers engaged in collection of the minor minerals. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xx) Breaking of boulders shall be undertaken outside the forest boundaries. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xxi) The labourers engaged in collection work shall be provided free of cost, fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forests. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआं एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- (xxii) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी द्वारा यह अवगत कराया गया कि चुगान क्षेत्र का सीमांकन पिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी ने यह अवगत कराया कि सीमांकन तथा सुरक्षा मद में आवश्यक धनराशि चुगान शुरू होने से पूर्व प्राप्त न होने के कारण कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सीमांकन तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक धनराशि चुगान सत्र शुरू होने से एक माह पूर्व निर्गत कर दिया जाना उचित होगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, रामनगर द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 से मुख्य सचिव उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सीमांकन की धनराशि वन विकास निगम द्वारा सम्बन्धित प्रभाग को प्रभागीय




वनाधिकारी की मांग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इसके क्रम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया के अनुसार ही सीमांकन एवं सुरक्षा मद हेतु धनराशि वन विकास निगम के स्तर से ही निर्गत की जाय तथा इस हेतु सीमांकन की धनराशि की मांग सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी समय से प्रेषित करें जिससे कि प्रभाग को सीमांकन एवं सुरक्षा मद की धनराशि वन विकास निगम के स्तर से चुगान प्रारम्भ होने से पूर्व ही निर्गत कर दी जाय।

- (xxiii) The forest land shall not be used for any purpose other than the specified in the proposal. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रत्यावर्तित आरक्षित वन भूमि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा रहा है जिस हेतु उसका हस्तान्तरण किया गया है।
- (xxiv) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; इस शर्त का अनुपालन कार्यदायी संस्था से अभी भी अपेक्षित है। रिपोर्ट की एक प्रति वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त को भी प्रेषित की जाय।
- (xxv) Any other condition that the Central Regional Office of this Ministry, Lucknow and the State Government of Uttarakhand may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त अधिरोपित नहीं की गयी है।
- (xxvi) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force as applicable to the project. प्रभागीय लीगिंग प्रबन्धक खनन, लालकुआँ एवं हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया कि इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नन्धौर नदी-

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि नन्धौर नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8-34/2016-एफ.सी. दि. 08.09.2017 से प्राप्त हुई है। तथा नन्धौर नदी में चुगान कार्यदायी संस्था को Environment Clearance देर से मिलने के कारण 02.04.2018 से उपखनिज चुगान प्रारम्भ हुआ है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा समिति का भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की शर्त sio (ii) की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया जिसके अनुसार "(ii) 25% of revenue realised from disposal of material from river beds shall be spent on river training and treatment of catchment area." उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड शासन से पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इस बिन्दु पर समिति की अगली बैठक में चर्चा करने हेतु निर्देशित किया।




कोसी एवं दाबका नदी-


प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि कोसी एवं दाबका नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. नं. 8-61/1999-एफ.सी. (pt-I) दि. 15.02.2013 तथा पत्रांक एफ. नं. 8-61/1999-एफ.सी. (pt-II) दि. 15.02.2013 से 10 वर्षों हेतु प्राप्त हुई है।


शारदा नदी-


प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि शारदा नदी के चुगान की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक सं. एफ. नं. 8-61/1999-एफ.सी. (pt-III) दि. 11.02.2013 से प्राप्त हुई है।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा कोसी, दाबका एवं शारदा नदी के विरुद्ध किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों के एक माह के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण हेतु गौला की भौति वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमाऊं को निर्देशित किया। इसी प्रकार प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड ने यह निर्देश दिये कि चूंकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरोपित शर्तों में से अधिकांश शर्तें एक समान हैं। अतः जिस प्रकार के निर्देश अनुपालन हेतु गौला नदी के संदर्भ में दिये गये हैं, उक्त समस्त निर्देश कोसी दाबका एवं शारदा नदियों के लिए भी प्रभावी होंगे।


(डी०के० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर
सदस्य सचिव-कोसी एवं दाबका


(डा० चन्द्रशेखर सनवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
सदस्य सचिव-शारदा


(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी
सदस्य सचिव-गौला एवं नन्धौर

अनुमोदित

(जय राज) 01/06/18
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में "गौला, कोसी-दाबका एवं शारदा से उपखनिज चुगान स्वीकृति सम्वन्धी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधोरोपिता शर्तों के अनुपालन की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं सदस्य

दिनांक 29.05.2018

स्थान-शताब्दी सभागार, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी।

| क्र०सं० | नाम व पदनाम | हस्ताक्षर |
|---------|---|-----------|
| 1 | डा. रूपाल भोरी, ज्यु.न.सं. कुमांडा | |
| 2 | डा. रमण मधुकर धनप्रे म.स.प.नृ. | |
| 3 | नीतीश शर्मा सिपाही | |
| 4 | च. इंडोरनर रामनाथ | |
| 5 | डी० प्री० लखि० पु० व. तराई पात्रेपा | |
| 6 | प्रकाश आर्ष ३०५००५११ न-चौर | |
| 7 | दिनेश चन्द्र पांडे W.T.T. | |
| 8 | पुन सिंह बोरा UKFAL मो० ९०५०५०७२०११ | |
| 9 | कै० हल० रावत, ७ ली० ७ | |
| 10 | Kaviraj D.L.M. Sharda | |
| 11 | N.K. Varchay D.L.M. Khanolkhan | |
| 12 | Anees Ahmad D.L.M. Khanan Ramnagar | |
| 13 | MERAS ANWAR, M.S. Coordinator WF | |
| 14 | GAJENDRA KAINORA - Ramnagar | |
| 15 | Shaljeet - DFO-TC | |
| 16 | C.C. Pant Regional Manager U.P.A. & Ramnagar | |
| 17 | | |
| 18 | | |

वन भूमि से बहने वाली गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों से उपखनिज चुगान हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.2.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए भारत सरकार की शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदी में उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रयोक्ता एजेन्सी) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत शर्तों के अधीन उप खनिज चुगान किया जा रहा है। उप खनिज चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में प्रत्येक वर्ष समीक्षा हेतु अनुश्रवण समिति का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं। तदक्रम में आज की बैठक में भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा की जानी है।

बैठक में अवगत कराया गया कि गौला नदी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 1497 हैक्टेअर नदी तल से उपखनिज चुगान का कार्य वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है व भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तों के अनुसार गौला हाथी कारीडोर के संरक्षण एवं सुदृढीकरण हेतु नदी तल के चिह्नित 2.5 कि०मी० क्षेत्र को चुगान हेतु प्रतिबन्धित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु SPV (कॉर्पस फण्ड) का गठन करने हेतु निर्देशित किया गया था व उक्त शर्त के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु कॉर्पस फण्ड का गठन कर दिया गया है व विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कॉर्पस फण्ड का उपयोग किया जा रहा है।


प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार की शर्त के अनुसार उपखनिज चुगान से प्राप्त रिवर ट्रेनिंग, क्षतिपूरक वनीकरण मद की समस्त धनराशि की एडहोक कैम्पा की निधि में जमा किया जा रहा है। समय से कैम्पा निधि से धन प्राप्त न होने के कारण रिवर ट्रेनिंग, तथा सीमांकन का कार्य स-समय पूरा करने में कठिनाई हो रही है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में सुझाव दिया गया कि भारत सरकार को उक्त मदों में प्रेषित धनराशि का वन प्रभागवार विवरण तीन दिनों के अन्तर्गत प्रेषित किया जाय। उक्त धनराशि के उपयोग हेतु एक योजना भी तैयार कर ली जाय ताकि वर्षवार एक समयबद्ध तरीके से धनराशि का उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार कैम्पा में सीमांकन, रिवर ट्रेनिंग कार्य व क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि के सम्बन्ध में भी आवश्यक सूचना प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड कार्यालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रेषित कर दी जाय। सूचना प्राप्त होने के उपरान्त वांछित धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वांछित धनराशि का प्राक्कलन की प्रति प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों में अधिरोपित विभिन्न शर्तों के अनुपालन की नदीवार विस्तृत समीक्षा की गई व जिन मामलों में वन विकास निगम द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी अपेक्षित है, उसे पूर्ण करने हेतु वन विकास निगम को बैठक में यथोचित निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निम्न निर्णय लिए गए :

- 1- वन विकास निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष खनन/चुगान सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व दाबका एवं शारदा नदी की भौति, गोला तथा कोसी नदी में भी वार्षिक खनन की मात्रा केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान (CSWCRTI), देहरादून के माध्यम से निर्धारित करायी जायेगी।
- 2- गोला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदियों के कैचमेन्ट एरिया के भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर का उपचार किया जाये।
- 3- गोला नदी में चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के बिन्दु सं०-6 के क्रम में आई०टी०बी०पी० के भवनों/दीवार के शिपिटिंग किये जाने के फलस्वरूप रिक्त भूमि व इसके समीपस्थ अवनत वन क्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण के दृष्टिगत सघनीकरण वृक्षारोपण किया जाय।
- 4- गोला नदी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के बिन्दु सं०-8 के अनुपालन किये जाने पर वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान व डब्लू.डब्लू.एफ. के प्रतिनिधियों के बीच वृहद विचार विमर्श हुआ व इस विषय पर सहमति बनी कि सुन्दरखाल क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास हेतु समस्त विकल्पों पर विचार किया जायेगा।
- 5- गोला नदी में चुगान हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के बिन्दु सं०-14 के अनुसार वन निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि नदियों से उप खनिज के दौहन के दौरान निर्धारित गहराई के मानकों का पूर्ण अनुपालन हो।
- 6- वन विभाग व वन विकास निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रत्येक तीन माह में नदियों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- 7- भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या- 24 के अनुसार वन निगम (प्रयोज्यता अभिकरण) वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट वन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार तथा MoEFCC के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रेषित करेंगे।
- 8- डब्ल्यू०डब्ल्यू०एफ० के प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक कुमाऊ नैनीताल द्वारा यह अवगत कराया कि नैनीताल वन प्रभाग हेतु वन तथा वन्यजीव संघर्ष को न्यून करने हेतु तकनीकी तथा रिसर्च संसाधन वन विभाग को उपलब्ध कराये जाएँ, जिस पर डब्ल्यू०डब्ल्यू०एफ० के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में सकारात्मक आश्वासन दिया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के माध्यम से डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. को एक प्रस्ताव भेजा जाये।
- 9- निर्धारित गहराई से अधिक खनन किये जाने के मामले प्रकाश में आने अथवा नदी तल पर अनुमन्य 50 प्रतिशत क्षेत्र से बाहर खनन के मामले प्रकाश में आने पर वन विकास निगम द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी में निर्धारित मानक से अधिक गहराई तक खनन न किया जाय।

समिति की बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद व्यक्त किया गया।



कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.


85-राजपुर रोड फोन-0135-2746934, फैक्स 0135-2741630 Mail Id. pccfuk@gmail.com

पत्र संख्या पी.ओ. / 868

दिनांक, देहरादून, फरवरी 13, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊं), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.आर.आई. कैम्पस, देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी/हल्द्वानी/तराई पश्चिमी वन प्रभाग।
8. निदेशक वन्य जीव संस्थान (द्वारा नामित प्रतिनिधि), चन्द्रबनी, देहरादून।
9. डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि) राजपुर रोड, देहरादून।
10. डब्ल्यू.टी.आई. इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि), नोएडा।
11. संस्कार संस्था (द्वारा नामित प्रतिनिधि), छोटी हल्द्वानी, कालाढूंगी (नैनीताल)।
12. आई.यू.सी.एन. इंडिया (द्वारा नामित प्रतिनिधि), नई दिल्ली।


(राजेंद्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2017 को मन्थन सभागार, देहरादून में गौला, कोसी, दाबका एवं शारदा नदी में उपखनिज घुगान हेतु दी गयी सशर्त अनुमति के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 14-1/X-3-13-08(14)/2008-TC दि. 29.01.2013 द्वारा गठित अनुभवण समिति की बैठक में उपस्थिति-

| क्र०सं० | अधिकारी का नाम/पदनाम | मोबाइल नं० | हस्ताक्षर |
|---------|--|------------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | S.T.S. Lepcha | 9412071394 | |
| 3 | | | |
| 4 | J. S. Suhag APCCP | 9568003213 | |
| 5 | Dr. Rajendra Singh CCFCK, Nainital | 7458172126 | |
| 6 | Bhuvanram Chandran CCF Shimla | 9458192131 | |
| 7 | NITISH MANI TRIPATHI, DAO TE | 7830811111 | |
| 8 | BIVASH PANDAY, WFL | 9412057162 | |
| 9 | ANIL KUMAR SINGH WVP India | 9760111709 | |
| 10 | DR. C. S. SAHNI DFO - Nainital | 7570000017 | |
| 11 | SUBHASH CHANDRA DFO, Tarai West, Rampur | 9412933928 | |
| 12 | Dhanrajai Mehan, APCCP (W) | 9410393913 | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |